SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

मध्य प्रदेश शासन
2024 का प्रतिवेदन संख्या 11
(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

मध्य प्रदेश शासन

2024 का प्रतिवेदन संख्या 11

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	**पृष्ठ क्रमांक**
प्राक्कथन		v
कार्यपालन सारांश		vii
अध्याय-I **विहंगावलोकन**		
परिचय	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	3
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.5	4
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रेक्षणों पर कार्यवाही	1.6	5
अभिस्वीकृति	1.7	5
अध्याय-II **राज्य में बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम का क्रियान्वयन**		
राज्य नियमों/कल्याण मण्डल के गठन की अधिसूचना में विलंब	2.1	7
बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 में असमानता	2.2	7
मण्डल के मैदानी कार्यालयों की स्थापना न होना	2.3	8
मण्डल का गठन एवं बैठकें	2.4	9

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	**पृष्ठ क्रमांक**
स्थापना का पंजीयन	2.5	12
भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों का पंजीयन	2.6	15
अध्याय-III **उपकर संग्रहण, निर्धारण एवं संगृहीत उपकर का अंतरण**		
उपकर का संग्रहण	3.1	19
उपकर का निर्धारण	3.2	21
मंडल को उपकर का अंतरण	3.3	24
अध्याय-IV **स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन**		
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन नहीं होना	4.1	29
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन नहीं करने पर विभागीय निष्क्रियता	4.2	30
स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं/कम किया जाना	4.3	32
अध्याय-V **निधि का प्रबंधन एवं उपयोग**		
निधि का प्रबंधन	5.1	35
कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निधि का उपयोग	5.2	42
निष्कर्ष	**5.3**	**56**
शब्दावली		**99**

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ क्रमांक**
1.1 (क)	चयनित जिलों, नगर निगमों/पालिकाओं/परिषदों एवं निर्माण कार्य विभाग के कार्यालयों का विवरण	59
1.1 (ख)	स्तरीकृत रेण्डम सेम्पलिंग के माध्यम से चयनित 10 कल्याणकारी योजनाओं का विवरण	60
2.1	मण्डल के मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयों संस्वीकृत एवं कार्यरत कार्मिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (मार्च 2022 तक की स्थिति में)	61
3.1	उपकर की प्राप्ति के लिए बैंक में जमा नहीं किए गए चेक/डिमांड ड्राफ्ट का विवरण	62
3.2	निर्धारण प्रकरणों का विवरण जिनमें राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण उपकर का संग्रहण लंबित रहा	65
3.3	प्रकरणों का विवरण जिनमें निर्धारण अधिकारी ने मण्डल के बैंक खाते में वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना उपकर का अग्रिम जमा होना अनुमत किया	70
3.4	उपकर के कम संग्रहण को दर्शाने वाला विवरण	76
4.1	निर्माण स्थलों का विवरण जहाँ दुर्घटना मृत्यु की घटनाएं घटित हुईं	82
5.1	अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	87

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ क्रमांक**
5.2	विवाह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	93
5.3	अपात्र हितग्राहियों को साईकिल सहायता की स्वीकृति दर्शाने वाला विवरण	96

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि को शामिल करते हुए श्रम विभाग, मध्य प्रदेश से संबंधित ''भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाहित हैं। लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने निर्माण कर्मकारों की मजदूरी, काम करने की स्थितियां, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों को विनियमित करने के लिए भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम) अधिनियमित (अगस्त 1996) किया। आगे, भारत सरकार ने भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित (अगस्त 1996) किया जो संनिर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर से भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के संग्रहण का प्रावधान करता है।

मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम में अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्य प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 (बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002) अधिसूचित (जनवरी 2003) किया। आगे, मध्य प्रदेश शासन ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (मण्डल) का गठन (अप्रैल 2003) किया। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 मण्डल को उपकर निधि के प्रबंधन एवं भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए योजनायें संचालित करने हेतु सशक्त करता है। तदनुसार, मण्डल ने पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), नगरीय निकायों (यू.एल.बी.), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग के माध्यम से 23 योजनाओं का कार्यान्वयन किया।

मार्च 2022 तक, राज्य में पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कुल संख्या 13.33 लाख थी। आगे, मण्डल ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान 11.81 लाख हितग्राहियों को ₹1,568.71 करोड़ का लाभ प्रदान किया।

हमने स्थापनाओं एवं हितग्राहियों के पंजीयन, उपकर निर्धारण, संग्रहण एवं संगृहीत उपकर मण्डल को प्रेषित किये जाने, भवन निर्माण कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों, योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपकर निधि का प्रबंधन एवं उपयोग के लिए प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

1. राज्य में बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम का क्रियान्वयन

मध्य प्रदेश शासन ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के अधिसूचित होने से छह वर्ष के विलंब से बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 अधिसूचित (जनवरी 2003) किया एवं मण्डल का गठन (अप्रैल 2003) किया।

(कंडिका 2.1)

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 में सुरक्षा उपायों की कमी के लिए दंड का प्रावधान नहीं था जैसा कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम में परिकल्पित था। हमने देखा कि विभाग ने दुर्घटना मृत्यु के 18 मामलों में भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के नियोजकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 2.2)

हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन ने, नियमों में प्रावधान होने के बावजूद, मण्डल की 2003 में स्थापना पश्चात पिछले 20 वर्षों में, किसी भी जिले में मण्डल का मैदानी कार्यालय नहीं खोला। मध्य प्रदेश शासन ने माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश (जनवरी 2010) का उल्लंघन करते हुए पर्याप्त पूर्णकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति भी नहीं की।

(कंडिका 2.3)

मध्य प्रदेश शासन ने 2014-15 से 2022-23 के दौरान मण्डल में कर्मकारों एवं नियोजकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं की परिणामस्वरूप कर्मकारों एवं नियोक्ताओं के सुझाव/मामलें अनुपलब्ध रहे।

(कंडिका 2.4.1)

विभाग ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों विशेषतः स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों का निरीक्षणों के माध्यम से संनिर्माण कर्मकारों के संरक्षण हेतु अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संनिर्माण कर्मकारों एवं नियोजन स्थल के पंजीयन हेतु राज्य शासन के विभागों, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं नगरीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं से निर्माण कार्यों एवं ऐसे निर्माण कार्यों में लगे निर्माण कर्मकारों एवं उनके नियोजकों का विवरण प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया।

(कंडिका 2.5.1)

चयनित जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों (ए.एल.सी.)/जिला श्रम अधिकारियों (डी.एल.ओ.) ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान चयनित निर्माण कार्य विभागों के कार्यालयों द्वारा निष्पादित 10,985 कार्यों को पंजीकृत नहीं किया।

(कंडिका 2.5.2)

मण्डल के पास भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों में संलग्न कर्मकारों की कुल संख्या का कोई डेटा नहीं था। 40 निर्माण स्थलों पर 223 कर्मकारों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि 223 में से केवल एक कर्मकार मण्डल में पंजीकृत था एवं शेष 222 कर्मकार अपंजीकृत थे। मण्डल ने मीडिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रभावी उपयोग के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत करने के लिए जागरूकता अभियान नहीं चलाया।

इसके अतिरिक्त, हमने कम एवं अधिक आयु के हितग्राहियों का पंजीयन देखा जो दर्शाता है कि ऐसे पंजीयन को रोकने के लिए पोर्टल पर जाँच एवं सत्यापन नहीं था।

(कंडिका 2.6)

2. उपकर संग्रहण, निर्धारण एवं संगृहीत उपकर का अंतरण

मण्डल ने 59 चेक/डिमांड ड्राफ्ट बैंक में प्राप्ति के लिए जमा नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप ₹50.67 लाख के उपकर की प्राप्ति नहीं हुई। आगे, सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर ने गलत गणना के कारण ₹19.57 लाख का उपकर नहीं लगाया।

(कंडिकाएं 3.1.1 एवं 3.1.2)

चयनित छह जिलों में से पांच जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों ने 17 से 52 महीने बीत जाने के बाद भी चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) जारी नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपकर एवं ब्याज की राशि ₹4.68 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.1.3)

हमने छह लेखापरीक्षित जिलों में देखा कि सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों ने नियोजकों द्वारा मण्डल को उपकर की वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना 54 प्रकरणों में ₹2.68 करोड़ का उपकर जमा होना अनुमत किया।

(कंडिका 3.2.1)

मध्य प्रदेश शासन ने उपकर प्रकरणों के निर्धारण के लिए नगर निगमों के आयुक्तों एवं नगर पालिकाओं/परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सी.एम.ओ.) को निर्धारण अधिकारी के रूप में नियुक्त (नवंबर 2011) किया। चयनित जिलो में, चयनित 12 में से 11 आयुक्तों/ मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में भवनों के निर्माण के लिए 52,855 अनुमतियां जारी की, हालांकि, उन्होंने इनमें से किसी भी प्रकरण में उपकर जमा करने के लिए निर्धारण आदेश जारी नहीं किए।

(कंडिका 3.2.2)

लेखापरीक्षित नगरीय निकायों के आयुक्तों/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹11.40 लाख का उपकर या तो संग्रह/प्रेषित नहीं किया या कम संगृहीत किया।

(कंडिकाएं 3.3.1 एवं 3.3.2)

निर्माण कार्य विभागों के चयनित 12 कार्यालयों ने उनके द्वारा कटौती किये गये ₹3.62 करोड़ का उपकर 30 दिवस की अनुमत समयावधि के अतिरिक्त 15 दिवसों एवं 1,744 दिवसों के मध्य विलंब से मण्डल को प्रेषित किया।

(कंडिका 3.3.3)

पदाभिहित अधिकारियों ने कर्मकारों से एकत्रित ₹1.14 करोड़ का अंशदान (आवेदन शुल्क) मण्डल को प्रेषित नहीं किया।

(कंडिका 3.3.4)

3. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन

निर्माण स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से निर्माण स्थलों पर नियोजकों द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का पालन नहीं किया जाना परिलक्षित हुआ। आठ निर्माण स्थलों पर, कर्मकार ऊंचे भवनों एवं अन्य निर्माण कार्य स्थलों में बिना सुरक्षा जाल तथा बिना सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट एवं जूते पहने काम कर रहे थे। आगे, हमने दुर्घटनाओं के सूचित किये गये मामलों पर विभागीय निष्क्रियता देखी।

(कंडिकाएं 4.1 एवं 4.2)

श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं के निरीक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए। आगे, श्रम आयुक्त एवं लेखापरीक्षित जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों द्वारा सूचित निरीक्षणों की संख्या में विसंगति थी।

(कंडिका 4.3)

4. निधि का प्रबंधन एवं उपयोग

लेखापरीक्षा ने देखा कि निधि, ₹1,839 करोड़ से ₹2,453.70 करोड़ के मध्य, सावधि जमा रसीद/बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी थी। 2017-18 से 2021-22 के दौरान निधि का उपयोग 13 प्रतिशत से 37 प्रतिशत के मध्य था।

(कंडिका 5.1.1)

मण्डल ने, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों, माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार के निर्देश का उल्लंघन करते हुए, गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं एवं संबल योजना के लाभार्थियों के लिए राज्य शासन द्वारा लागू योजनाओं हेतु ₹416.33 करोड़ के उपकर निधि के विचलन की अनुमति दी।

(कंडिका 5.1.2)

मण्डल ने 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के ₹4.43 करोड़ का प्रतिदाय नहीं हुआ जबकि मण्डल की आय आयकर से मुक्त थी।

(कंडिका 5.1.4)

नगर निगम, भोपाल एवं जबलपुर के आयुक्तों एवं जबलपुर, मुरैना एवं सिंगरौली जिलों के जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता तथा विवाह सहायता के ₹2.07 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों में किया।

(कंडिका 5.2.1)

मण्डल ने, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, अपंजीकृत कर्मकारों के लिए अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के लिए योजना अधिसूचित (दिसंबर 2014) की। 2017-18 से 2021-22 के दौरान, मण्डल ने 153 प्रकरणों में ₹5.01 करोड़ स्वीकृत किए।

(कंडिका 5.2.2)

मण्डल ने गांवों में रहने वाले निर्माण कर्मकारों की पहचान, सत्यापन एवं पंजीयन के लिए परियोजना, 2016 लागू की। यद्यपि, परियोजना पर किया गया ₹18.71 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप एक भी निर्माण कर्मकार पंजीकृत नहीं किया जा सका था।

(कंडिका 5.2.4)

मण्डल 2017-18 एवं 2019-20 के दौरान प्रसूति सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अंतरित ₹80.47 करोड़ के समायोजन के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहा।

(कंडिका 5.2.10)

लेखापरीक्षित नगरीय निकायों के आयुक्तों/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने विवाह सहायता, अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता के लाभ को स्वीकृत करने में 18 से 523 दिवसों की देरी की।

(कंडिका 5.2.11)

अनुशंसाओं का सार

- *मध्य प्रदेश शासन को बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के मध्य असमानता के परिशोधन हेतु बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 की समीक्षा करनी चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को मानदंडों के अनुसार मण्डल में भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों एवं नियोजकों का प्रतिनिधित्व तथा मण्डल की नियमित बैठकें सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी पात्र स्थापनाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को मण्डल द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में कर्मकारों को जागरूक करने के लिए मीडिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रभावी उपयोग के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *मण्डल को अपात्र हितग्राहियों के पंजीयन को रोकने के लिए श्रमसेवा पोर्टल में जांच एवं सत्यापन को शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए तथा गलत अथवा अपूर्ण डेटा का विश्लेषण करने एवं हटाने के लिए डेटा क्लीनिंग की आवधिकता निर्धारित करनी चाहिए। आगे, मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों में बच्चों को न लगाये जाने के लिए निवारक उपायों को भी सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को उन प्रकरणों में जहां नियोजक उपकर जमा करने में विफल रहा समय पर राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को सभी निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपकर का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डोंके अनुपालन की जांच करने के लिए निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।*
- *मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए कल्याण निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों के प्रकरणों की जाँच करनी चाहिए एवं कपट की गयी राशि की तत्काल वसूली के अलावा इन भुगतानों की स्वीकृति/प्राप्ति में शामिल अधिकारियों एवं व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।*
- *मण्डल को कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।*

अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I
विहंगावलोकन

1.1 परिचय

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने संनिर्माण कर्मकारों की मजदूरी, काम करने की स्थितियां, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों को विनियमित करने के लिए भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम) अधिनियमित (अगस्त 1996) किया। आगे, भारत सरकार ने भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित (अगस्त 1996) किया जो संनिर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर से भवन और संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के संग्रहण का प्रावधान करता है। उपकर ठेकेदार के देयक से स्रोत पर कटौती करके अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भवन नक्शा के अनुमोदन के समय अग्रिम उपकर के रूप में एकत्र किया जाता है अथवा स्व-निर्धारण के आधार पर और/अथवा निर्धारण आदेश (निर्धारण अधिकारी द्वारा) के अनुपालन में उपकर संग्राहक को जमा किया जाता है।

मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 (बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002) अधिसूचित (जनवरी 2003) किया। आगे, मध्य प्रदेश शासन ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (मण्डल) का गठन (अप्रैल 2003) किया।

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए योजनाएं संचालित करने हेतु सशक्त करता है। तदनुसार, मण्डल ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों को लाभ प्रदान करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.), नगरीय निकायों (यू.एल.बी.), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग के माध्यम से 23 योजनाएं क्रियान्वित की। मण्डल ने कर्मकारों के पंजीयन एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रकरणों के प्रसंस्करण हेतु श्रमसेवा पोर्टल प्रारंभ (अगस्त 2013) किया।

मार्च 2022 की स्थिति में, राज्य में पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कुल संख्या 13.33 लाख थी। 2017-18 से 2021-22 के दौरान, मण्डल ने 11.81 लाख हितग्राहियों को राशि ₹1,568.71 करोड़ के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

मण्डल में पदेन अध्यक्ष के रूप में श्रम मंत्री; केन्द्र सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामित कल्याण आयुक्त, जबलपुर; राज्य सरकार द्वारा मण्डल के सदस्यों के रूप में भवन निर्माण कर्मकारों एवं नियोजकों (प्रत्येक के पांच) का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित 10 सदस्य शामिल होते हैं। चार सदस्य अर्थात् प्रमुख सचिव, श्रम विभाग और वित्त विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा नामांकित प्रमुख सचिव अथवा उप सचिव स्तर के अधिकारी मण्डल के पदेन सदस्य होते है।

मध्य प्रदेश शासन ने भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए श्रम आयुक्त को मुख्य निरीक्षक नियुक्त (फरवरी 2001) किया। सचिव (उप आयुक्त स्तर का अधिकारी) मण्डल के दैनिक कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं एवं निधि प्रबंधन एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उपकर के संग्रहण, स्थापनाओं के पंजीयन, कर्मकारों के पंजीयन एवं पंजीकृत कर्मकारों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की स्वीकृति के लिए जिला एवं निचले स्तर पर संगठन का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है:

तालिका-1.1: उपकर के संग्रहण, स्थापनाओं/कर्मकारों के पंजीयन एवं लाभ की स्वीकृति के लिए जिला एवं निचले स्तर का संगठन

प्राधिकारी का नाम	कार्य एवं उत्तरदायित्व
सहायक श्रम आयुक्त (ए.एल.सी.)/जिला श्रम अधिकारी (डी.एल.ओ.), श्रम विभाग	• स्थापनाओं के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी (आर.ओ.) के रूप में पदाभिहित एवं उपकर के निर्धारण के लिए निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) के रूप में भी कार्य करते है। • उपकर का संग्रहण एवं प्रेषण। • बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण। • स्थापनाओं का निरीक्षण।
सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी	• भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों के भुगतान से उपकर की कटौती। • मण्डल को उपकर का प्रेषण।
श्रम निरीक्षक	• बी.ओ.सी.डब्लू. अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक के रूप में नियुक्त। • स्थापनाओं का निरीक्षण।
आयुक्त, नगर निगम (एन.एन.)/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	• भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों से उपकर संग्रहण हेतु उपकर संग्रहकर्ता एवं उपकर के निर्धारण हेतु निर्धारण अधिकारी के रूप में नियुक्त। • भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों का पंजीयन एवं पोर्टल पर डेटा अपलोड करना।

तालिका-1.1: उपकर के संग्रहण, स्थापनाओं/कर्मकारों के पंजीयन एवं लाभ की स्वीकृति के लिए जिला एवं निचले स्तर का संगठन	
प्राधिकारी का नाम	**कार्य एवं उत्तरदायित्व**
(सी.एम.ओ.), नगर पालिका/परिषद ग्रामीण क्षेत्रो में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) जनपद पंचायत (जे.पी.)	• पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ स्वीकृत करना।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के जिला एवं निचले स्तर के अधिकारी	• पात्र हितग्राहियों को योजना लाभ अर्थात प्रसूति सहायता योजना एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजना आदि की स्वीकृति।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

1. अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित नियम दोनों अधिनियमों के भावों के अनुरूप थे?
2. स्थापनाओं एवं हितग्राहियों के पंजीयन के लिए एक प्रभावी प्रणाली थी?
3. निर्धारण, संग्रहण एवं एकत्रित उपकर का निधि में प्रेषण कुशल था?
4. शासन ने उचित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्ड निर्धारित किए एवं नियोजकों द्वारा उन मानदण्डों के अनुपालन के लिए परिवेश सुनिश्चित कर सका?
5. श्रम उपकर के अपवंचन एवं नियोजकों द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन की जांच करने के लिए मानदंडों के अनुसार नियमित निरीक्षण किए गए?
6. मण्डल द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि का प्रबंधन एवं उपयोग अधिनियम एवं राज्य शासन द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार कुशल एवं प्रभावी था?

1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

अधिनियम/नियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत निम्नानुसार हैं:

1. भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996;
2. मध्य प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2002;
3. भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं उपकर नियम, 1998;
4. मण्डल एवं श्रम आयुक्त द्वारा पारित संकल्प;
5. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश/ निर्देश।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

हमने "भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण" पर 2017-18 से 2021-22 अवधि को सम्मिलित करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की। हमने मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल एवं श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की। आगे, हमने छह[1] जिलों (तीन का चयन कल्याणकारी योजनाओं पर लाभ के अधिकतम संवितरण के आधार पर एवं तीन का चयन श्रम उपकर के अधिकतम संग्रहण के आधार पर) का नमूना चयन किया। जिला स्तर पर, हमने सहायक श्रम आयुक्त (ए.एल.सी.)/ जिला श्रम अधिकारी (डी.एल.ओ.) एवं उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की। इसके अलावा, प्रत्येक चयनित जिले में, हमने दो नगर निगम/पालिका/परिषद एवं निर्माण कार्य विभाग के दो कार्यालयों का चयन किया जैसा कि ***परिशिष्ट-1.1*** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, हमने स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग के आधार पर 10 कल्याणकारी योजनाओं का चयन किया। हमने चार जिलों (ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर) में श्रमोदय विद्यालयों के अभिलेखों की भी जाँच की।

आगे, हमने पात्र हितग्राहियों के पंजीयन एवं सहायता भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए चयनित जिलो में 299 पंजीकृत कर्मकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों, 222 अपंजीकृत श्रमिकों तथा 40 स्थापनाओं का संयुक्त हितग्राही सर्वेक्षण किया। इसके अलावा, हमने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के श्रमसेवा पोर्टल डेटा का भी विश्लेषण किया।

हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली एवं लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन (सितंबर 2022) आयोजित किया।

[1] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना एवं सिंगरौली

आगे, हमने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के साथ निर्गम सम्मेलन (जून 2023) आयोजित किया। शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं जून 2024) जिन्हें प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

1.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रेक्षणों पर कार्यवाही

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु, मध्य प्रदेश शासन (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-3) के प्रतिवेदन में अवधि 2011-16 के लिए "मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" पर लेखापरीक्षा शामिल था। हमने देखा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियाँ जैसे अवास्तविक बजट अनुमान, वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया जाना, क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं किया जाना एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी आदि अभी भी यथावत थी। श्रम विभाग ने प्रतिवेदन की टिप्पणियों पर उत्तर (अप्रैल 2018) प्रस्तुत किया। लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की अनुशंसाएं प्रतीक्षित (अगस्त 2024) रही।

1.7 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), मध्य प्रदेश, ग्वालियर लेखापरीक्षा संपादन के दौरान राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय-II

राज्य में बी.ओ.सी.डब्लू. अधिनियम का क्रियान्वयन

अध्याय-II
राज्य में बी.ओ.सी.डब्लू. अधिनियम का क्रियान्वयन

2.1 राज्य नियमों/कल्याण मण्डल के गठन की अधिसूचना में विलंब

मध्य प्रदेश शासन ने, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 (बी.ओ.सी.डब्लू. नियम 2002) अधिसूचित (जनवरी 2003) किया। आगे, मध्य प्रदेश शासन ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (मण्डल) का गठन (अप्रैल 2003) किया। मध्य प्रदेश शासन ने 1996 में बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की अधिसूचना पश्चात बी.ओ.सी.डब्लू. नियम 2002 अधिसूचित किये जाने एवं मण्डल का गठन किये जाने में छह वर्ष की देरी की।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

2.2 बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 में असमानता

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 की संवीक्षा में बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम, 2002 में निम्नलिखित असमानताओं का पता चला:

- बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 47 में नियोजकों द्वारा नियोजन के दौरान कर्मकारों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति जैसे तीन महीने तक का कारावास अथवा दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। हमने देखा कि नियोजकों द्वारा सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 में शास्ति का प्रावधान शामिल नहीं था। हमने देखा कि विभाग ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हुई दुर्घटना मृत्यु के 18 मामलों में भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के नियोजकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।
- बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 35(1) में प्रत्येक ऐसे स्थान पर, जहां पचास से अधिक स्त्री कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित की जाती हैं, शिशु कक्ष (छह वर्ष तक के बच्चों के लिए) उपलब्ध कराने एवं उसके रखरखाव का प्रावधान है। यद्यपि, बी.ओ.सी. डब्ल्यू. नियम 2002 में शिशु कक्ष की व्यवस्था का प्रावधान नहीं था।
- बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 32 में प्रावधान है कि नियोजक प्रत्येक स्थान पर जहाँ भवन और अन्य संनिर्माण कार्य चल रहा है, वहां नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए

सुविधाजनक रूप से स्थित उपयुक्त स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगा। यद्यपि, हमने देखा कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 में निर्माण स्थलों पर पेयजल सुविधाओं के प्रावधान शामिल नहीं थे।

इस प्रकार, मध्य प्रदेश शासन ने नियम बनाते समय बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के इन महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विचार नहीं किया।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा-2.1: *मध्य प्रदेश शासन को बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के मध्य असमानता के परिशोधन हेतु बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 की समीक्षा करनी चाहिए।*

2.3 मण्डल के मैदानी कार्यालयों की स्थापना न होना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 में मण्डल के कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए जिला स्तर पर मैदानी कार्यालयों की स्थापना का प्रावधान है। आगे, माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने भी तीन माह के भीतर पर्याप्त पूर्णकालिक कर्मचारियों के साथ मण्डल के गठन का निर्देश (18 जनवरी 2010) दिया था।

हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन ने मण्डल के मुख्यालय एवं जिला स्तर के कार्यालयों के लिए क्रमशः 25 एवं 310 पद स्वीकृत किए थे। मण्डल के मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयों में कर्मचारियों की स्वीकृत एवं पदस्थ संख्या का विवरण ***परिशिष्ट-2.1*** में दिया गया है। यद्यपि, हमने देखा कि मण्डल ने जिला स्तर पर कोई मैदानी कार्यालय स्थापित नहीं किया था। आगे, मण्डल ने नियमित कर्मचारियों को तैनात करने के स्थान पर, 57 श्रम निरीक्षकों को कल्याण पर्यवेक्षकों के रूप में मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर तैनात (जुलाई 2017) किया जो मण्डल से संबंधित मैदानी कार्यों का निर्वहन कर रहे थे। हमने देखा कि उपर्युक्त श्रम निरीक्षकों को मण्डल के कार्यो से उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित (जून 2022) कर दिया गया था। मैदानी कार्यालयों की स्थापना न किए जाने एवं मैदानी स्तर पर मण्डल के कार्यों के लिए आवश्यक मैदानी कर्मचारियों की तैनाती न किए जाने के परिणामस्वरूप उपकर के संग्रहण में कमियाँ आई एवं कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन भी प्रभावित हुआ जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

इस मामले को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 3) की कंडिका 3.2.4.2 में भी उठाया गया था। यद्यपि, पूर्णकालिक कर्मचारियों के साथ मण्डल का गठन करने के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्देशों के 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, मण्डल ने

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के अनुसार बेहतर कार्यप्रणाली के लिए न तो पूर्णकालिक कर्मचारियों की पदस्थापना/ नियुक्ति की और न ही मैदानी कार्यालयों की स्थापना की।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि मण्डल ने 2012 में सेवा एवं भर्ती नियम प्रकाशित किए थे एवं नियमों के अनुसार, कल्याण अधिकारी एवं कल्याण पर्यवेक्षक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर ली जानी थी। तदनुसार, मण्डल ने श्रम विभाग से कल्याण पर्यवेक्षकों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर ली। वर्ष 2022 में, शासन ने कल्याण पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी। मण्डल के मैदानी कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं मण्डल में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगे, शासन ने सूचित किया (जून 2024) कि श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश ने (जनवरी 2024) सहायक श्रम अधिकारियों एवं श्रम निरीक्षकों को कल्याण अधिकारी एवं कल्याण पर्यवेक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। मण्डल कार्यालय स्तर पर, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सहायक ग्रेड-3 सह स्टेनो-टाइपिस्ट सह कम्प्यूटर ऑपरेटरों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही थी। जिला स्तर पर मण्डल की योजनाओं का कार्यान्वयन/पर्यवेक्षण एवं उपकर संग्रहण एवं मण्डल के विभिन्न गतिविधियाँ संभागीय एवं जिला श्रम कार्यालयों के माध्यम से किए जा रहे हैं। मण्डल की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए मण्डल श्रम कार्यालयों को प्रशासनिक निधि से आवंटन एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, मण्डल ने श्रमिको के पंजीयन एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभों की स्वीकृति के लिए जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों/श्रम कार्यालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित की। इसलिए, पृथक जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू नियम 2002 में मण्डल के कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए जिला स्तर पर मैदानी कार्यालयों की स्थापना का प्रावधान है। यद्यपि, लगभग 20 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी एवं पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017 का प्रतिवेदन संख्या 3) में समान मामलें को इंगित करने के बावजूद, जिसमें शासन ने मैदानी कार्यालयों की शीघ्र स्थापना का आश्वासन (अक्टूबर 2016) दिया था, शासन मैदानी कार्यालयों की स्थापना एवं आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने में विफल रहा।

अनुशंसा-2.2: *मध्य प्रदेश शासन को मण्डल के मैदानी कार्यालय खोलने एवं पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की पदस्थापना सुनिश्चित करना चाहिए।*

2.4 मण्डल का गठन एवं बैठकें

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 251 के अनुसार, मण्डल में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए राज्य शासन द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला

एक सदस्य, मुख्य निरीक्षक (पदेन सदस्य के रूप में), राज्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शासकीय विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए एवं राज्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निर्माण कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य शामिल होंगे। आगे, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 22 में मण्डल के कार्यों को विस्तार से बताया गया है।

हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन ने मण्डल के सभी सदस्यों की नियुक्तियों/नामांकनों को निरस्त (दिसंबर 2013) कर दिया तथा प्रशासनिक, वित्तीय एवं सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम मंत्री को मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नामित (जनवरी 2014) किया । छह साल के अंतराल के पश्चात जनवरी 2020 में मण्डल का पुनर्गठन किया गया। मण्डल के अस्तित्व में न होने के दौरान (जनवरी 2014 से दिसम्बर 2019), आठ नई योजनाओं/कार्यक्रमों[1] को मण्डल के अनुमोदन के बिना प्रारंभ किया गया। हमने आगे देखा कि:

- वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए मण्डल का बजट फरवरी 2020 में आयोजित मण्डल की 31वीं बैठक तक अस्वीकृत रहा।
- मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (जागरूकता, पहचान, पंजीयन तथा विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना) परियोजना, 2016 का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो सका।
- वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए मण्डल का प्रशासनिक प्रतिवेदन अस्वीकृत रहा तथा फरवरी 2020 में आयोजित 31वीं बैठक तक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
- वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के लिए मण्डल के वार्षिक लेखे, जनवरी 2021 में आयोजित मण्डल की 32वीं बैठक तक स्वीकृत नहीं हुए।

आगे, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 256 में प्रावधान है कि मण्डल की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी। जनवरी 2020 से मार्च 2022 के दौरान आवश्यक नौ बैठकों के विरुद्ध मण्डल की केवल तीन बैठकें आयोजित की गई परिणामस्वरूप मण्डल की बैठकों में कमी रही। मण्डल की बैठकों में कमी के कारण मण्डल के बजट एवं लेखों के अनुमोदन

[1] (क) मध्य प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (जागरूकता, पहचान, पंजीयन तथा विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना) परियोजना, 2016, (ख) साईकिल अनुदान योजना, 2014 (ग) अपंजीकृत श्रमिको को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, 2014 (घ) खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, 2014, (ड) विदेश अध्ययन योजना, 2019 (च) दोपहिया वाहन क्रय अनुदान योजना, 2014 (छ) कोचिंग अनुदान योजना, 2014 एवं (ज) औजार/उपकरण खरीदी अनुदान योजना, 2014।

में विलंब हुआ और इसके अलावा योजनाओं के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा नहीं की जा सकी।

शासन ने कहा (जून 2023) कि राज्य शासन ने अधिसूचना दिनांक 3 जुलाई 2013 के माध्यम से मण्डल का पुनर्गठन किया था। सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.), मध्य प्रदेश शासन ने अगले आदेश तक मण्डल की नियुक्तियों को निरस्त (दिसंबर 2013) कर दिया इसलिए मण्डल का पुनर्गठन नहीं हो सका। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने आदेश दिनांक 03.01.2014 के माध्यम से विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री को मण्डल के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा। माननीय मंत्री ने आठ योजनाओं, बजटों, वार्षिक प्रतिवेदनों एवं लेखों को स्वीकृत किया। 2020 में मण्डल के पुनर्गठन के बाद, मण्डल की बैठकों में इन बजटों, वार्षिक प्रतिवेदनों एवं वार्षिक लेखों का अनुमोदन लिया गया। कोविड-19 के कारण मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को मण्डल के पुनर्गठन के मामले को सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष उठाना चाहिए था। इस प्रकार, विभाग मण्डल की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2014-20 के दौरान कर्मकारों एवं नियोजकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 के दौरान मण्डल की बैठक एम.एस. टीम एवं गूगल मीट आदि के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जा सकती थी।

2.4.1 मण्डल में कर्मकारों एवं नियोजकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति न होना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 18 (3) निर्दिष्ट करता है कि मण्डल में राज्य शासन, नियोजकों एवं भवन कर्मकारों के प्रतिनिधित्व के लिए समान संख्या में सदस्य शामिल होंगे। आगे, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 251 (v) एवं (vi) परिकल्पित करते है कि भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य (कम से कम एक महिला सहित) तथा भवन कर्मकारों के पांच नियोजकों को राज्य शासन द्वारा नियुक्ति किया जाना था।

मण्डल के गठन के लिए जारी (जनवरी 2020) राजपत्र अधिसूचना में परिकल्पित था कि निर्माण कर्मकारों एवं भवन कर्मकारों के नियोजकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के संबंध में एक पृथक अधिसूचना जारी की जाएगी। हमने, हालांकि, देखा कि मण्डल के गठन के तीन साल बाद (जनवरी 2023 तक) भी इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

इसके अलावा, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों एवं भवन कर्मकारों के नियोजकों के प्रतिनिधित्व के बिना मण्डल की बैठकें[2] आयोजित की गयी। इसके परिणामस्वरूप, मण्डल

[2] फरवरी 2020 में 31वीं बैठक, जनवरी 2021 में 32वीं बैठक एवं नवंबर 2021 में 33वीं बैठक।

कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने एवं प्रभावी कार्यान्वयन में इन हितधारकों के बहुमूल्य सुझावों से वंचित रहा।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि मण्डल ने कर्मकारों एवं नियोजकों के प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए (सितंबर 2019) शासन को प्रस्ताव भेजा था। यद्यपि, अधिसूचना (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी 2020) केवल शासकीय सदस्यों को शामिल करके जारी की गई थी। अधिसूचना में यह उल्लेखित था कि कर्मकारों एवं नियोजकों की नियुक्ति पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। मण्डल ने कर्मकारों एवं नियोजकों के नामांकन के लिए शासन को प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत (अप्रैल 2023) किया जिसपर शासन स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासन ने आगे सूचित किया कि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19 जुलाई 2023 के माध्यम से, मण्डल का गठन किया गया, तथा नियोजकों एवं भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भी नियुक्त किया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासन ने लगभग 10 वर्षों (जनवरी 2014 से) तक कर्मकारों एवं नियोजकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति न होने के यथोचित कारण नहीं बताए। इसके अतिरिक्त, मण्डल ने पांच साल के अंतराल के बाद कर्मकारों एवं नियोजकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत (सितंबर 2019) किया जो कर्मकारों एवं नियोजकों के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में मण्डल की शिथिलता को दर्शाता है।

अनुशंसा-2.3: *मध्य प्रदेश शासन को मानदण्डों के अनुसार मण्डल में भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों एवं नियोजकों का प्रतिनिधित्व तथा मण्डल की नियमित बैठकें सुनिश्चित करना चाहिए।*

2.5 स्थापना का पंजीयन

बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम शासकीय, अथवा उसके नियंत्रण में, किसी निकाय कॉर्पोरेट अथवा फर्म, किसी व्यक्ति अथवा संगठन अथवा व्यक्तियों के अन्य निकाय जो किसी भी भवन अथवा अन्य संनिर्माण कार्यों में भवन कर्मकारों को नियोजित करता है से संबंधित किसी स्थापना पर लागू होती है; एवं इसमें ठेकेदार से संबंधित स्थापना शामिल है। यद्यपि, इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो अपने स्वयं के भवन निर्माण के लिए किसी भी भवन या संनिर्माण कार्य में ऐसे कर्मकारों को नियोजित करता है एवं जिसके निर्माण की कुल लागत ₹10 लाख से अधिक नहीं है।

2.5.1 अपंजीकृत स्थापनाओं की पहचान के लिए प्रणाली न होना

सभी पात्र स्थापनाओं का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संभावित स्थापनाओं की पहचान करने के लिए शासकीय एवं निर्माण

गतिविधियों को प्राधिकृत करने वाले राज्य के स्थानीय निकायों सहित योजना प्राधिकरणों के साथ संबंध सुनिश्चित करने के लिए एक औपचारिक तंत्र आवश्यक था। यद्यपि, पात्र स्थापनाओं का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कोई तंत्र विद्यमान नहीं था। हमने आगे देखा कि श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश ने ऐसी कोई प्रणाली नहीं बनाई जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा निष्पादित किए जा रहे सभी भवन और अन्य संनिर्माण कार्य अनिवार्य रूप से बी.ओ.सी.डब्लू, अधिनियम के अंतर्गत स्थापनाओं के रूप में पंजीकृत हों। आगे, स्थापनाओं के पंजीयन के लिए विभागों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों/नगरीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण के लिए दी गई अनुमतियों के संबंध में कोई जानकारी श्रम विभाग को अग्रेषित नहीं की गई थी। यहाँ तक कि मण्डल ने बिल्डरों/डेवलपर्स का डेटा भी संधारित नहीं किया था। इस प्रकार, भवन और अन्य निर्माण कार्य स्थलों की कोई मैपिंग नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण स्थलों का स्थापनाओं के रूप में पंजीयन नहीं हुआ। निर्माण स्थलों का पंजीयन न होने के कारण, निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं श्रम उपकर के निर्धारण एवं संग्रहण की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निर्माण स्थल निरीक्षण से बाहर रहे।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

2.5.2 शासकीय विभागों द्वारा निष्पादित भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों का पंजीयन न होना

चयनित जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि स्थापनाओं के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी होने के नाते सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों ने, केवल 520 स्थापनाओं (निजी व्यक्तियों/फर्मों द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य) को पंजीकृत किया जबकि निर्माण कार्य विभाग के 12 चयनित कार्यालयों ने 2017-22 के दौरान 10,985 निर्माण कार्य निष्पादित किए थे एवं ये निर्माण कार्य बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे। विवरण **तालिका-2.1** में दिया गया है।

तालिका-2.1: 2017-22 के दौरान चयनित निर्माण विभागों द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों की संख्या एवं चयनित जिलों में पंजीकृत स्थापनाओं की कुल संख्या

जिला	निर्माण कार्य विभागों का नाम	चयनित निर्माण कार्य विभागों द्वारा 2017-22 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्य	चयनित निर्माण कार्य विभागों द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों की कुल संख्या	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या (श्रम कार्यालय में)
भोपाल	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भोपाल संभाग	412	1,209	96
	लोक निर्माण विभाग,	797		

तालिका-2.1: 2017-22 के दौरान चयनित निर्माण विभागों द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों की संख्या एवं चयनित जिलों में पंजीकृत स्थापनाओं की कुल संख्या				
जिला	**निर्माण कार्य विभागों का नाम**	**चयनित निर्माण कार्य विभागों द्वारा 2017-22 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्य**	**चयनित निर्माण कार्य विभागों द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों की कुल संख्या**	**पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या (श्रम कार्यालय में)**
	संधारण संभाग-02			
ग्वालियर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, थाटीपुर संभाग	314	2,370	47
	लोक निर्माण विभाग, संभाग-01	2,056		
इंदौर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संभाग-02	3,560	5,135	225
	लोक निर्माण विभाग, संभाग-01	1,575		
जबलपुर	लोक निर्माण विभाग, संभाग-01	957	1,544	58
	लोक निर्माण विभाग, संभाग-02	587		
मुरैना	लोक निर्माण विभाग, संभाग	210	377	32
	जल संसाधन विभाग, जौरा संभाग	167		
सिंगरौली	लोक निर्माण विभाग, सिंगरौली संभाग	337	350	62
	जल संसाधन विभाग, संभाग-02	13		
योग		**10,985**		**520**

(स्रोत: निर्माण कार्य विभागों एवं सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों के अभिलेखों से एकत्रित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारी बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। पंजीयन नहीं होने के कारण, स्थापनाओं के नियोजक बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों विशेष रूप से कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन से पूरी तरह से बच गए।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा-2.4: *मध्य प्रदेश शासन को बी.ओ.सी.डब्लू. अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी पात्र स्थापनाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना चाहिए।*

2.6 भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों का पंजीयन

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है कि प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किन्तु साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कम से कम नब्बे दिनों के लिए किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में लगा रहा है हितग्राही के रूप में पंजीयन के लिए पात्र होगा।

हमने देखा कि मण्डल के पास राज्य में भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों में शामिल कर्मकारों की कुल संख्या के बारे में कोई डेटा नहीं था। आगे, हमने चयनित जिलों में 40 निर्माण स्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया एवं उन कार्यो में लगे 223 कर्मकारों का सर्वेक्षण किया। हमने पाया कि निर्माण स्थलों पर सर्वेक्षण किए गए 223 कर्मकारों में से केवल एक कर्मकार मण्डल में पंजीकृत था और निर्माण कार्यों में लगे शेष 222 श्रमिक मण्डल में पंजीकृत नहीं थे। हमने देखा कि मण्डल ने गांवों में रहने वाले कर्मकारों की पहचान, सत्यापन एवं पंजीयन हेतु तथा पात्र हितग्राहियों को पंजीकृत एवं लाभ प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (जागरूकता, पहचान, पंजीयन तथा विभिन्न योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना) परियोजना, 2016 प्रारम्भ (अगस्त 2016) की। मण्डल ने परियोजना पर ₹18.71 करोड का निष्फल व्यय किया क्योंकि इस परियोजना में सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप एक भी श्रमिक को पंजीकृत नहीं किया जा सका (**कंडिका 5.2.4** में विस्तार से चर्चा की गई है)।

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं (संबल/ बी.ओ.सी.डब्ल्यू. आदि) में अस्थायी श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के लिए निर्देश (जनवरी 2022) जारी किए। यद्यपि, मण्डल ने दिसंबर 2022 तक किसी भी अस्थायी श्रमिक/प्रवासी को पंजीकृत नहीं किया था। आगे, मण्डल ने भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारो के रूप में पंजीकृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) श्रमिकों का पृथक डेटा संधारित नहीं किया था।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि पदाभिहित अधिकारियों द्वारा सभी पात्र निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत किया गया था। श्रम और रोजगार विभाग, भारत सरकार ने राज्य में 18.15 लाख निर्माण कर्मकारों (असंगठित क्षेत्र में) का अनुमान लगाया था। इस संख्या के आधार पर, मण्डल समय-समय पर विशेष अभियान के माध्यम से पात्र कर्मकारों का पंजीयन करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों का डेटा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास उपलब्ध है। जन सेवा अभियान के तहत विशेष अभियानों के माध्यम से 64,220 कर्मकारों का पंजीयन किया गया। वर्तमान में, राज्य में 17,82,839 निर्माण कर्मकार पंजीकृत हैं।

उत्तर सामान्य है क्योंकि मण्डल के पास राज्य में निर्माण कर्मकारों का अपना सर्वेक्षण डेटा होना चाहिए था। इसके अलावा, विशेष अभियान के माध्यम से पात्र भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों को पंजीकृत करने के लिए मण्डल के प्रयासों को दर्शाने वाले प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए है।

2.6.1 भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के लिए जागरूकता सृजन की कमी

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश (जनवरी 2010) दिया कि भवन कर्मकारों के पंजीयन एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। बी.ओ.सी.डब्लू. अधिनियम एवं इसके अंतर्गत उपलब्ध लाभों एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों के लिए मीडिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

हमने लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में देखा कि मण्डल ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मीडिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रभावी उपयोग के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों को पंजीकृत करने हेतु बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के लाभों से अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान नहीं चलाया। मण्डल ने, हालांकि, 2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹10.15 करोड़[3] का व्यय करके शासकीय भवनों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाकर विज्ञापन किया। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद मण्डल ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले भवन और संनिर्माण कर्मकारों में जागरूकता के लिए मीडिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023 एवं जून 2024) कि मण्डल ने सितंबर 2022 से मार्च 2023 के दौरान रेडियो जिंगल एवं टी.वी. स्पॉट के माध्यम से मण्डल की योजनाओ से हितग्राहियों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन दिया। आगे, चूंकि हितग्राही विभिन्न कार्यों के लिए श्रम कार्यालयों, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद एवं जनपद पंचायत जाते हैं, इसलिए, योजनाओं की जानकारी से संबंधित होर्डिंग इन भवनों पर 2018 में लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त, सभी श्रम कार्यालयों ने जिला एवं स्थानीय निकायों के स्तर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे रात्रिचौपाल, लोक कल्याण शिविर इत्यादि में वितरण के लिए मण्डल द्वारा प्रदान किए गए पैम्फलेट वितरित किए। आगे, मण्डल ने 2021-22 में मण्डल की सभी योजनाओं के विवरण वाली गाइडबुक प्रकाशित की जो मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध थी।

[3] 2017-18: ₹3.16 करोड़, 2018-19: ₹3.21 करोड़ एवं 2019-20: ₹3.78 करोड़

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने रेडियो जिंगल, टी.वी. स्पॉट एवं विभिन्न कार्यक्रमों जैसे रात्रिचौपाल, लोक कल्याण शिविर इत्यादि के माध्यम से विज्ञापन किये जाने से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

अनुशंसा-2.5: *मध्य प्रदेश शासन को मण्डल द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में कर्मकारों को जागरूक करने के लिए मीडिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रभावी उपयोग के माध्यम से पर्याप्त विज्ञापन सुनिश्चित करना चाहिए।*

2.6.2 अपात्र व्यक्तियों का पंजीयन

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है कि प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किन्तु साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कम से कम नब्बे दिनों के लिए किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में लगा रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पंजीयन के लिए पात्र होगा। मण्डल ने कर्मकारों के पंजीयन एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रकरणों के प्रसंस्करण के लिए श्रमसेवा पोर्टल (अगस्त 2013) शुरू किया ।

मण्डल द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमसेवा पोर्टल डेटा के विश्लेषण से निम्नलिखित पता चला:

- श्रमसेवा पोर्टल ने भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के रूप में पंजीयन हेतु 556 आवेदकों का पंजीयन स्वीकार किया जिनकी आयु पंजीयन के समय 18 वर्ष से कम थी। हमने आगे देखा कि इन 556 पंजीयनों में से, 10 पंजीयन भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार के रूप में पंजीयन की तिथि पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के थे। आगे, हमने पंजीयन की तिथि पर 60 वर्ष से अधिक आयु के 134 अपात्र आवेदकों का पंजीयन भी देखा। इस प्रकार, पंजीयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों ने इन आवेदकों की पात्रता के सत्यापन के समय अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया तथा पात्रता से कम एवं अधिक उम्र के व्यक्तियों का पंजीयन किया। आगे, श्रमसेवा पोर्टल में ऐसे पंजीयन को रोकने के लिए जांच एवं सत्यापन का अभाव था।
- मण्डल के पास अपात्र व्यक्तियों के पंजीयन का पता लगाने के लिए निगरानी तंत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, मण्डल ने डेटा क्लीनिंग के विश्लेषण एवं गलत या अपूर्ण डाटा को हटाने या संशोधित करने की आवधिकता तय नहीं की।

स्पष्ट रूप से, मण्डल अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा तथा हितग्राहियों के रूप में पात्रता से कम एवं अधिक उम्र के व्यक्तियों का पंजीयन किया।

शासन ने जवाब दिया (जून 2024) कि कर्मकारों का पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकृत किया गया था। पोर्टल में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के कर्मकारों के पंजीयन के लिए

पर्याप्त जांच एवं सत्यापन थे। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ डमी डेटा पर आधारित हैं एवं ये कर्मकार वास्तव में पंजीकृत नहीं हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, कर्मकार का पंजीयन स्वतः निरस्त हो जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा जांच से पहले डमी चिह्नित डेटा को मण्डल द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डेटा से हटाया गया था। लेखापरीक्षा ने इन हितग्राहियों को लाभों के भुगतान का सत्यापन किया एवं इन हितग्राहियों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के भुगतान के मामलें देखे जो दर्शाता है कि हितग्राही डमी नहीं थे। इसके अतिरिक्त, शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तर के साथ डेटा (डमी डेटा को हटाकर) प्रस्तुत नहीं किया।

अनुशंसा-2.6: *मण्डल को अपात्र हितग्राहियों के पंजीयन को रोकने के लिए श्रमसेवा पोर्टल में जांच एवं सत्यापन को शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए तथा गलत अथवा अपूर्ण डेटा का विश्लेषण करने एवं हटाने के लिए डेटा क्लीनिंग की आवधिकता निर्धारित करनी चाहिए। आगे, मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों में बच्चों को न लगाये जाने के लिए निवारक उपाय भी सुनिश्चित करना चाहिए।*

अध्याय-III

उपकर संग्रहण, निर्धारण एवं संगृहीत उपकर का अंतरण

अध्याय-III
उपकर संग्रहण, निर्धारण एवं संगृहीत उपकर का अंतरण

3.1 उपकर का संग्रहण

भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) की धारा 3, सहपठित केंद्र सरकार की अधिसूचना (सितम्बर, 1996) में नियोजक द्वारा उपगत संनिर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण का प्रावधान है। उद्ग्रहित उपकर का भुगतान नियोजक द्वारा निर्माण परियोजना पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर उपकर संग्राहक को किया जाएगा और इसके संग्रहण के 30 दिनों के भीतर मण्डल को अंतरित किया जाएगा।

3.1.1 अनादरित चेक/डिमांड ड्राफ्ट के कारण उपकर की प्राप्ति न होना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 264 (ई) में परिकल्पित है कि मण्डल को देय राशियों की उचित एवं समय पर वसूली के लिए मण्डल उत्तरदायी होगा।

मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान मण्डल ने बैंक में 59 चेक/डिमांड ड्राफ्ट प्राप्ति के लिए जमा नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹50.67 लाख के उपकर की प्राप्ति नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप चेक/डिमांड ड्राफ्ट कालातीत हो गए (***परिशिष्ट-3.1*** में वर्णित) एवं मण्डल को उपकर की राशि प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार, मण्डल की शिथिलता के कारण राशि ₹50.67 लाख का उपकर प्राप्त नहीं किया जा सका। उक्त चेकों/डिमांड ड्राफ्ट के विरुद्ध बकाया राशियों की वसूली हेतु आगे कोई कार्यवाही होना अभिलेख में नहीं पाया गया।

शासन ने बताया (जून 2023) कि मण्डल ने 59 अनादरित चेकों की राशि प्रेषित करने के संबंध में जानकारी एकत्र करने हेतु संबंधित जिला/संभागीय श्रम कार्यालयों/अन्य कार्यालयों को पत्र जारी किया था।

कार्यवाही समय पर एवं प्रभावी प्रतीत नहीं होती है।

अनुशंसा-3.1: *मण्डल को बिना किसी विलम्ब के इन प्रकरणों में उपकर राशि की प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहिए।*

3.1.2 उपकर से अनियमित छूट

मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना (जून 2016) में नियोजक द्वारा किए गए निर्माण की लागत में से छूट प्राप्त 12 मदों की एक सूची का उल्लेख है। आगे, अधिसूचना शासन के द्वारा किसी भी एजेंसी को प्रदान की जा रही सब्सिडी/अनुदान को उपकर से छूट प्रदान नहीं करती है।

उपकर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर ने ग्वालियर-झांसी से बिलौआ मार्ग होते हुए घोंघा तक सड़क के निर्माण पर उपकर निर्धारण आदेश जारी (जून 2020) किया। हमने निर्धारण आदेश के साथ संलग्न अभिलेखों में देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) के प्रतिवेदन के अनुसार, निर्माण की कुल लागत ₹49.68 करोड़ थी। आगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रतिवेदन में कार्य की लागत से ₹19.57 करोड़ की सब्सिडी (अनुदान) राशि, ₹4.97 करोड़ का लाभ एवं ₹1.08 करोड़ का वित्तीय व्यय घटाया गया था तथा निर्माण की लागत ₹24.06 करोड़ दर्शाई गई थी। हमने देखा कि सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर ने निर्माण की लागत राशि ₹24.06 करोड़ निर्धारित करते हुए ₹24.06 लाख का उपकर निर्धारण आदेश जारी किया। हमने देखा कि सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर ने निर्माण कार्य पर सब्सिडी (अनुदान) का उपयोग सुनिश्चित किए बिना ₹19.57 करोड़ की सब्सिडी (अनुदान) राशि पर उपकर कटौती से अंतरिम राहत प्रदान की। इस प्रकार, सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर ने अनियमित रूप से अनुदान को मानदंडों के विपरीत उपकर के अधिरोपण से छूट दे दी जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹19.57 लाख के उपकर का अपवंचन हुआ।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

3.1.3 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना

उपकर अधिनियम की धारा 8 निर्दिष्ट करता है कि यदि कोई नियोजक निर्धारण आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर धारा 3 के तहत देय कोई उपकर राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो प्रत्येक माह अथवा एक माह के भाग जिसमे भुगतान देय है से वास्तविक भुगतान की अवधि हेतु, भुगतान की जाने वाली राशि पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम 1998) का नियम 13 निर्दिष्ट करता है कि संबंधित जिले का कलेक्टर नियोजक से अदत्त उपकर एवं शास्ति की रकम की वसूली भूमि राजस्व के बकाया जैसे करेगा। आगे, मध्य प्रदेश शासन ने (जनवरी 2012) बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के अंतर्गत सभी बकाया की वसूली के लिए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर सहायक श्रम आयुक्तों एवं जिला श्रम अधिकारियों को तहसीलदार की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की।

हमने देखा कि चयनित छह जिलों में से पांच जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों एवं जिला श्रम अधिकारियों ने 43 उपकर निर्धारण प्रकरणों (***परिशिष्ट-3.2***) में निर्धारण आदेश के जारी होने के 17 से 52 महीने की समाप्ति के बाद भी चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) जारी नहीं किया परिणामस्वरूप 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपकर एवं ब्याज की राशि ₹4.68 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी जैसा की **तालिका-3.1** में वर्णित है:

तालिका-3.1: राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करने हेतु जिलेवार लंबित प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण (₹ लाख में)						
स. क्र.	**जिला**	**राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करने हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या**	**राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब (महीनों में)**	**नियोजक द्वारा जमा की जाने वाली बकाया उपकर राशि**	**ब्याज प्रति माह 2 प्रतिशत की दर से (12/2022 तक)**	**कुल राशि (लंबित उपकर राशि एवं ब्याज)**
1.	भोपाल	12	17 से 52	122.02	107.83	229.85
2.	ग्वालियर	4	17 से 34	19.35	12.97	32.32
3.	जबलपुर	17	22 से 46	103.12	84.01	187.13
4.	मुरैना	06	36 से 48	9.56	7.79	17.35
5.	सिंगरौली	04	22 से 39	1.06	0.74	1.80
योग		**43**	**17 से 52**	**255.11**	**213.34**	**468.45**

(डेटा स्रोत: छह सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारी के कार्यालयों के अभिलेख)

इस प्रकार, सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों ने बकाया उपकर राशि की वसूली के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की परिणामस्वरूप उपकर राशि ₹2.55 करोड़ एवं ब्याज की राशि ₹2.13 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा-3.2: *मध्य प्रदेश शासन को उन प्रकरणों में जहां नियोजकों उपकर जमा करने में विफल रहा समय पर राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।*

3.2 उपकर का निर्धारण

3.2.1 उपकर का अनियमित समायोजन

उपकर नियम 1998 के नियम 7 में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी, नियोजक से फॉर्म। में जानकारी प्राप्त होने पर दी गई ऐसी जानकारी की जांच करेगा और, यदि वह प्रस्तुत किये गये विवरण की शुद्धता के बारे में संतुष्ट है तो, वह निर्धारण आदेश जारी करेगा। आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ देय उपकर की राशि, नियोजक द्वारा पूर्व में किया गया भुगतान अथवा स्रोत पर काटा गया उपकर, देय शेष राशि एवं तारीख निर्दिष्ट होगी। आगे, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने 1 अप्रैल 2017 से "श्रमसेवा पोर्टल" (www.labour.mp.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन उपकर संग्रहण के लिए निर्देश (जनवरी 2017) जारी किए।

(i) सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ग्वालियर के होटल रेडिसन की कुल निर्माण लागत ₹13.00 करोड़ थी एवं तदनुसार निर्धारण अधिकारी के रूप में सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर ने राशि ₹13 लाख के उपकर का निर्धारण (जून 2020) किया। आगे, नियोजक द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट में प्रदर्शित था कि नियोजक ने नगर निगम, ग्वालियर के खाते में ₹12.85 लाख जमा (जनवरी 2018) की थी तथा उपरोक्त राशि को देय उपकर से समायोजित किया गया था। होटल रेडिसन के बैंक भुगतान वाउचर की संवीक्षा से, यह भी पता चला कि नियोजक ने पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने एवं शुल्क के भुगतान के लिए क्रमशः ₹8.39 लाख एवं ₹4.46 लाख (कुल ₹12.85 लाख) नगर निगम, ग्वालियर में बैंक खातें में जमा (जनवरी 2018) किया था। नियोजक ने पोर्टल के माध्यम से मण्डल के बैंक खाते में उपकर की शेष राशि ₹0.15 लाख जमा (जून 2020) किया। इस प्रकार, सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर ने उपकर के भुगतान एवं मण्डल को राशि के प्रेषण का सत्यापन किये बिना शुल्क एवं पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किये गए ₹12.85 लाख के भुगतान को अनियमित रूप से ₹13 लाख के देय उपकर में से समायोजित किया।

(ii) सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर ने कुल निर्माण लागत ₹3.32 करोड़ (मेसर्स रॉयल किआ, ग्वालियर) पर उपकर ₹3.32 लाख का निर्धारण (अप्रैल 2021) किया था। नियोजक ने उपकर मण्डल में जमा करने के संबंध में बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत (सितम्बर 2021) किया एवं सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर ने उपकर निधि में राशि की वास्तविक जमा का सत्यापन किये बिना ही इसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह, दो प्रकरणों में सहायक श्रम आयुक्त, जबलपुर ने आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से नियोजक द्वारा मण्डल के बैंक खाते में ₹4.48 लाख[1] का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित किया। यद्यपि, मण्डल से जाँच में पता चला कि नियोजकों द्वारा जमा की गई उपकर राशि, मण्डल के बैंक खाते में जमा नहीं हुई थी। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारियों ने मण्डल के बैंक खाते में अग्रिम उपकर की वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना, समायोजन की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप उपकर का अपवंचन हुआ।

(iii) हमने आगे देखा कि भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, इंदौर, जबलपुर एवं सिंगरौली के सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों ने 50 प्रकरणों में नियोजकों से उपकर भुगतान की रसीद प्राप्त किये बिना एवं मण्डल से इनकी प्राप्ति का सत्यापन किये बिना जारी किये गए निर्धारण आदेशों में राशि ₹2.47 करोड़[2] का उपकर जमा होना अनुमत किया।

---

[1] मेसर्स नवकार इंटरप्राइजेज (प्रकरण पंजीयन क्र. 24/2017) ₹59,456/- एवं जितेंदर जमादार (प्रकरण पंजीयन क्र. 45/2019) ₹3,88,044/-

[2] भोपाल (₹1.22 करोड़), ग्वालियर (₹1.19 लाख), मुरैना (₹18.31 लाख), इंदौर (₹50.95 लाख), जबलपुर (₹18.23 लाख) एवं सिंगरौली (₹36.14 लाख)

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारियों (सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों) ने नियोजकों द्वारा मण्डल को उपकर की वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना 54 प्रकरणों में ₹2.68 करोड़ का उपकर के जमा होना अनुमत किया। विवरण ***परिशिष्ट-3.3*** में दिया गया हैं। आगे, ऑनलाइन पोर्टल के अलावा अन्य माध्यमों से उपकर के भुगतान की स्वीकृति भी विभागीय आदेशों के विरूद्ध था।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

3.2.2 उपकर का निर्धारण नहीं होना

उपकर नियम 1998 के नियम 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक नियोजक कार्य शुरू करने अथवा उपकर के भुगतान (जैसा भी मामला हो) से सम्बन्धित जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रपत्र-I में निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) को प्रस्तुत करेगा। आगे, नियम 7 में प्रावधान है कि प्रपत्र-I में जानकारी प्राप्त होने पर, निर्धारण अधिकारी इसकी प्रमाणिकता की जांच करेगा और, यदि संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसी जानकारी प्राप्त होने के दिनांक से छह माह से अनधिक अवधि के भीतर एक निर्धारण आदेश जारी करेगा। मध्य प्रदेश शासन ने राजपत्र अधिसूचना (नवम्बर 2011) के द्वारा नगर निगमों के आयुक्तों एवं नगर पालिकाओं/परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में उपकर के निर्धारण के लिए निर्धारण अधिकारी नियुक्त किया।

चयनित नगरीय निकायों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, चयनित 12 में से 11 नगरीय निकायों ने 52,855 भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा जारी की थी। हमने देखा कि नगर निगमों के आयुक्तों एवं नगर पालिकाओं/परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने इनमें से किसी भी प्रकरण में निर्धारण आदेश जारी नहीं किया था। चयनित नगरीय निकायों द्वारा जारी किए गए भवन निर्माण अनुज्ञाओं का विवरण ***तालिका-3.2*** में दिया गया है:

तालिका-3.2: चयनित नगरीय निकायों के द्वारा जारी भवन अनुज्ञाओं की संख्या			
स. क्र.	**जिले का नाम**	**चयनित नगरीय निकायों के नाम**	**वर्ष 2017-22 के दौरान जारी किये गये भवन निर्माण अनुज्ञाओं की संख्या**
1.	भोपाल	नगर निगम	23,818
		नगर पालिका, बैरसिया	453
2.	ग्वालियर	नगर निगम	2,830
		नगर परिषद्, आंतरी	2
3.	इंदौर	नगर निगम	21,276
		नगर परिषद्, देपाल्पुर	55
4.	जबलपुर	नगर निगम	2,896
		नगर परिषद्, बरेला	26
5.	मुरैना	नगर निगम	686
		नगर परिषद्, कैलारस	19
6.	सिंगरौली	नगर निगम	794
योग			**52,855**

(स्रोत: चयनित नगरीय निकायों के अभिलेखों से एकत्र की गई जानकारी)

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी के रूप में नियुक्त, आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/परिषद्, भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में नियोजकों द्वारा देय उपकर का निर्धारण करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक उपकर का संभावित अपवंचन हुआ। इससे उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचना के द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन का उद्देश्य भी विफल रहा।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा-3.3: *मध्य प्रदेश शासन को सभी निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपकर का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

3.3 मण्डल को उपकर का अंतरण

3.3.1 कटौती किये गए उपकर का मण्डल को प्रेषण नहीं किया जाना

उपकर नियम 1998 के नियम 5 (3) में निर्दिष्ट है कि एकत्र किये गये उपकर की प्राप्ति को इसके संग्रहण के 30 दिवस के भीतर मण्डल को अंतरित कर दिया जाएगा।

नगर परिषद, आंतरी (ग्वालियर) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, आंतरी (ग्वालियर) ने अपने

अधिकार क्षेत्र में निर्माण कार्यों के देयकों से ₹3.95 लाख के उपकर की कटौती की। यद्यपि, हमने देखा कि यह राशि फरवरी 2023 तक मण्डल को अंतरित नहीं की गई थी। उपकर की लंबित राशि को नगरीय निकाय ने भी स्वीकार किया। इस प्रकार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपकर को प्रेषित नहीं करके नियम का उल्लंघन किया।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

3.3.2 उपकर की कटौती नहीं/कम होना एवं उपकर का प्रेषण नहीं किया जाना

उपकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपकर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण किया जायेगा एवं स्थानीय प्राधिकरण अथवा राज्य शासन एकत्र किए गए उपकर को मण्डल को प्रेषित करेगी। आगे, उपकर नियम 1998 के नियम 5 में परिकल्पित है कि उपकर की प्राप्ति को इसके संग्रहण के तीस दिवस के भीतर मण्डल को अंतरित कर दिया जाएगा।

2017-18 से 2021-22 के दौरान चयनित नगरीय निकायों में 110 (52,855 में से) भवन निर्माण की अनुज्ञाओं के प्रकरणों की संवीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- नगर पालिका, बैरसिया (भोपाल) एवं नगर परिषद, आंतरी (ग्वालियर) ने भवन निर्माण के अनुमानित लागत पर उपकर का संग्रहण नहीं किया परिणामस्वरूप राशि ₹0.99 लाख के उपकर का अपवंचन हुआ जैसा कि ***तालिका-3.3*** में वर्णित है:

तालिका-3.3: भवन निर्माण अनुज्ञाओं से उपकर का संग्रहण नहीं किये जाने का विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	उपकर संग्राहक का नाम	आवेदक का नाम	भवन निर्माण अनुज्ञा का दिनांक	आवेदक के द्वारा प्रदान किये गए अभिलेख के अनुसार अनुमानित निर्माण लागत	देय उपकर
1.	नगर पालिका, बैरसिया, भोपाल	राजेश कुमार महेश्वरी	27 जून 2017	14,12,563	14,126
2.	नगर परिषद् आंतरी, ग्वालियर	मेसर्स डी.वी. ग्रीन फ्यूल्स	26 दिसम्बर 2018	85,24,000	85,240
योग					**99,366**

- नगर निगम, भोपाल एवं नगर परिषद, बरेला, जबलपुर ने, यद्यपि, चार प्रकरणों में भवन अनुज्ञाएं जारी करते समय उपकर की राशि ₹0.62 लाख एकत्र किया परंतु जनवरी 2023 तक इस राशि को मण्डल को प्रेषित नहीं किया। विवरण ***तालिका-3.4*** में दिया गया हैं:

तालिका-3.4: मण्डल को प्रेषित नहीं किये गए उपकर का विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	**कार्यालय का नाम**	**आवेदक का नाम**	**भवन निर्माण अनुज्ञा का दिनांक**	**अनुमानित निर्माण लागत**	**नगरीय निकायों द्वारा संग्रहित उपकर राशि**
1.	नगर परिषद् बरेला, जबलपुर	संतोष कुमार पाण्डेय	25-06-2019	18,00,000	18,000
2.	नगर परिषद् बरेला, जबलपुर	सुधीर कुमार खंडेलवाल	07-10-2019	15,00,000	15,000
3.	नगर परिषद् बरेला, जबलपुर	रजनेश दुबे	18-12-2019	13,30,000	13,300
4.	नगर निगम, भोपाल	विशाल सिंह ठाकुर	18-11-2019	15,97,100	15,975
योग					**62,275**

- मण्डल ने नगरीय निकायों को निर्देश (जून 2020) जारी किया कि उपकर का संग्रहण प्रचलित कलेक्टर दिशानिर्देशों अथवा कुल अनुमानित लागत जो भी ए.बी.पी.ए.एस.-II सॉफ़्टवेयर[3] में उच्चतर हो के अनुसार किया जाएगा। हमने देखा कि पांच नगरीय निकायों ने 20 प्रकरणों में निर्माण की अनुमानित लागत अथवा प्रचलित कलेक्टर दिशानिर्देशों के अनुसार लागत में से उच्चतर दर पर निर्धारण नहीं करके मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन किया जिसके कारण ₹5.84 लाख की उपकर राशि का कम संग्रह हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट-3.4*** में वर्णित है।

इस प्रकार, चयनित नगरीय निकायों के आयुक्तों/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹7.45 लाख का उपकर या तो संग्रहित नहीं किया/प्रेषित नहीं किया अथवा कम संग्रहित किया।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

3.3.3 मण्डल को उपकर के अंतरण में विलम्ब

उपकर नियम 1998 के नियम 5 में परिकल्पित है कि उपकर की प्राप्ति को इसके संग्रहण के तीस दिवस के भीतर मण्डल को अंतरित कर दिया जाएगा।

निर्माण कार्य विभागों (प्रत्येक चयनित जिलों के दो निर्माण कार्य विभागों के कार्यालय) में निष्पादित 60[4] कार्यों की संवीक्षा से पता चला कि विभागों ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान

[3] ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम-II

[4] निर्माण कार्य विभाग के प्रत्येक कार्यालय में पाँच कार्य

₹362.02 करोड़ के कार्यो को निष्पादित किया एवं ₹3.62 करोड़ के उपकर की कटौती की। हमने देखा कि विभागों ने कटौती किए गए उपकर को 30 दिवसों की अनुमत्य समयावधि से अधिक 15 एवं 1,744 दिवसों के मध्य विलम्ब से मण्डल को प्रेषित किया। विभागवार विवरण ***तालिका-3.5*** में दिया गया है:

तालिका-3.5: 2017-22 के दौरान चयनित निर्माण कार्य विभागों के कार्यालयों द्वारा उपकर के प्रेषण में विलम्ब का विवरण

(₹ लाख में)

जिला	निर्माण कार्य विभाग का नाम	निष्पादित कार्य/ भुगतान की राशि	कटौती की गई उपकर राशि	उपकर प्रेषण में विलंब (दिवसों में)
भोपाल	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भोपाल संभाग	484.64	4.85	15 से 557
	लोक निर्माण विभाग, संधारण संभाग-2	3,313.54	33.14	16 से 87
ग्वालियर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, थाटीपुर संभाग	878.99	8.79	27 से 421
	लोक निर्माण विभाग, संभाग-1	1,674.07	16.74	45 से 331
इंदौर	लोक स्वास्थ यांत्रिकी, संभाग-2	19.47	0.19	279
	लोक निर्माण विभाग, संभाग-1	8,350.85	83.51	145 से 1,686
जबलपुर	लोक निर्माण विभाग, संभाग-1	5,565.19	55.79	509 से 1,744
	लोक निर्माण विभाग, संभाग-2	811.44	8.18	30 से 1,425
मुरैना	लोक निर्माण विभाग, संभाग	12,807.63	128.13	15 से 390
	जल संसाधन विभाग, जौरा संभाग	717.28	7.17	15 से 363
सिंगरौली	लोक निर्माण विभाग, संभाग	1,028.67	10.29	16 से 776
	जल संसाधन विभाग, संभाग-2	550.49	5.50	62 से 430
योग		**36,202.26**	**362.28**	**15 से 1,744**

(स्रोत: निर्माण कार्य विभागों के अभिलेखों से एकत्रित जानकारी)

इस प्रकार, निर्माण कार्य विभागों के चयनित 12 कार्यालयों ने कटौती किये गए उपकर राशि ₹3.62 करोड़ 30 दिवस की अनुमत्य समयावधि से 15 एवं 1,744 दिवसों के मध्य विलंब से मण्डल को प्रेषित किया।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा-3.4: *मध्य प्रदेश शासन को मण्डल को समय पर उपकर जमा की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।*

3.3.4 श्रमिकों का अंशदान मण्डल को प्रेषित नहीं किया जाना, ₹1.14 करोड़

बी.ओ.सी.डब्ल्यू नियम 2002 के नियम 274 के अनुसार, प्रत्येक हितग्राही उस मासिक दर पर निधि में अंशदान देगा जैसा की शासन द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। मध्य प्रदेश शासन ने, यद्यपि, अधिसूचना (सितम्बर 2013) के माध्यम से अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक हितग्राही के पंजीयन के लिए राशि ₹15 का अंशदान नियत किया। तथापि, अधिसूचना में मासिक अंशदान की विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं किया गया था जैसा कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू नियम 2002 के अनुसार आवश्यक था। आगे, मण्डल ने अधिसूचना (जुलाई 2008) के माध्यम से पदाभिहित अधिकारियों को संगृहीत अंशदान मण्डल को प्रेषित करने का निर्देश दिया था।

हमने देखा कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, पदाभिहित अधिकारियों ने राज्य में ₹7.58 लाख कर्मकारों को पंजीकृत किया एवं प्रति हितग्राही ₹15/- की दर से ₹1.14 करोड़ का अंशदान एकत्र किया। आगे हमने देखा कि ₹1.14 करोड़ के एकत्रित अंशदान में से, पदाभिहित अधिकारियों ने कर्मकारों से एकत्र अंशदान में से केवल ₹9,000 प्रेषित किया एवं शेष राशि पदाभिहित अधिकारियों के पास लंबित थी। हमने देखा कि मण्डल ने अंशदान की शेष राशि के प्रेषण के लिए कोई पत्राचार नहीं किया जो मण्डल की शिथिलता को दर्शाता हैं। आगे, चयनित नगरीय निकायों ने भी पुष्टि की कि उन्होंने मण्डल को अंशदान राशि प्रेषित नहीं की।

शासन ने बताया (जून 2023) कि पदाभिहित अधिकारियों ने कर्मकारों से पंजीयन एवं अंशदान शुल्क एकत्र किया। ग्रामीण क्षेत्रों में, पंजीयन एवं अंशदान शुल्क संबंधित निकाय की निधि में जमा करने का प्रावधान है। उत्तर में आगे कहा गया कि नगरीय निकायों से पंजीयन एवं अंशदान शुल्क प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 274 (1) में प्रावधान है कि अंशदान मण्डल द्वारा निर्दिष्ट बैंकों में प्रेषित (मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक आधार पर) किया जाना चाहिए। आगे, नगरीय निकायों से पंजीयन एवं अंशदान शुल्क एकत्र करने की कार्यवाही समय पर एवं प्रभावी प्रतीत नहीं होती है।

अध्याय-IV

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन

अध्याय-IV
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन

4.1 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन नहीं होना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 42(6) में प्रावधान है कि जब कभी भी भवन अथवा अन्य संनिर्माण कार्य में निर्माण कर्मकार ऐसे कार्य में नियोजित होता है जहाँ ऊंचाई से गिरने का खतरा होता है, तो ऐसे खतरों से बचाने के लिए नियोजक द्वारा उन्हें पर्याप्त उपकरण अथवा साधन प्रदान किए जाएंगे।

यादृच्छिक रूप से चयनित 10 निर्माण कार्य स्थलों के संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण से पता चला कि कर्मकार ऊंचे भवनों और अन्य संनिर्माण कार्यों में सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सुरक्षा जाल एवं जूते पहने बिना काम कर रहे थे जैसा कि **तालिका-4.1** एवं **चित्र-1 से 6** में दर्शित है:

तालिका-4.1: निर्माण-स्थलों पर सुरक्षा उपायों का अनुपालन न होने की स्थिति

स. क्र.	देखे गए मामले	निर्माण-स्थलों की संख्या
1.	कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों तथा पंजीयन को सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाना	10
2.	निर्माण कर्मकारों द्वारा कार्य के दौरान जूते नहीं पहने होना	07
3.	निर्माण कर्मकार ऊंचे भवनों में बिना हेलमेट के काम कर रहे थे	01
4.	निर्माण कर्मकार बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊंचे भवनों में काम कर रहे थे	08
5.	सुरक्षा जाल अनुपलब्ध थे	07
6.	अग्निशमन प्रणाली अनुपलब्ध थी	06

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन न होना दर्शाने वाले चित्र-1 से 6:

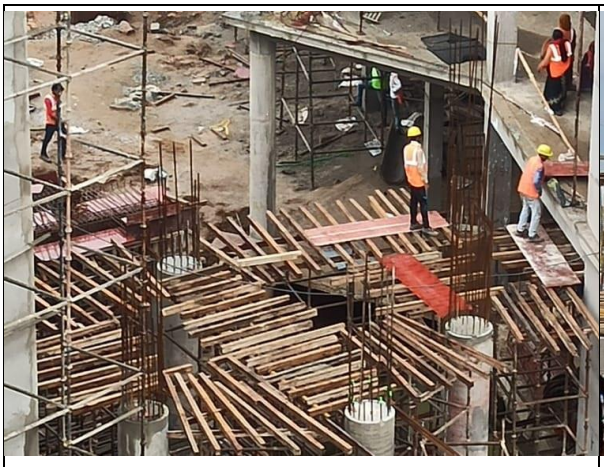

(1) ग्लोबल स्किल पार्क, भोपाल में ऊंचे भवन के निर्माण में बिना सुरक्षा जाल के एवं सेफ्टी बेल्ट पहने कार्य करते हुए कर्मकार

(2) मैसर्स विराशा निसर्ग, भोपाल में ऊंचे भवन के निर्माण में बिना सुरक्षा जाल के एवं सेफ्टी बेल्ट पहने कार्य करते हुए कर्मकार

(3) वन बिजनेस सेंटर, ग्वालियर में ऊंचे भवन निर्माण में बिना सुरक्षा जाल के एवं सेफ्टी बेल्ट पहने कार्य करते हुए कर्मकार

(4) लैंडमार्क, इंदौर में ऊंचे भवन के निर्माण में बिना सुरक्षा जाल के एवं सेफ्टी बेल्ट पहने कार्य करते हुए कर्मकार

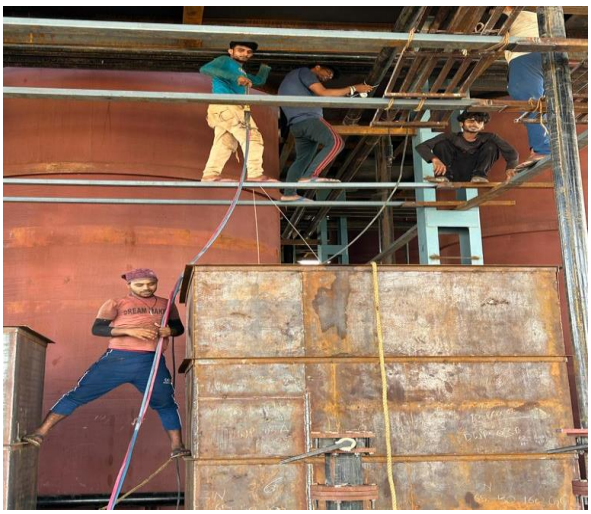

(5 एवं 6) गुप्ता सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड, मुरैना में बिना सुरक्षा जाल के, हेलमेट एवं सेफ्टी बेल्ट पहने ऊंचे भवन का निर्माण कार्य करते हुए कर्मकार

स्पष्ट रूप से, इन निर्माण स्थलों के नियोजकों ने कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। आगे, विभागीय प्राधिकारियों ने भी नियोजकों द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जिससे कर्मकारों के जान जाने एवं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ा एवं परिणामस्वरूप दुर्घटना मृत्यु भी हुई जैसा कि उत्तरवर्ती **कंडिका 4.2** में चर्चा किया गया है।

4.2 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन नहीं करने पर विभागीय निष्क्रियता

श्रम विभाग के राजपत्र अधिसूचना (मार्च 2001) में प्रावधान है कि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (आई.एच.एस.) कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली स्थापनाओं में बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम में उल्लिखित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित

करेंगे। आगे, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 210 एवं 211 के अनुसार नियोजक निर्माण स्थल पर किसी दुर्घटना के कारण हुई जान की हानि की सूचना चार घंटे के भीतर प्रस्तुत करेंगे एवं दुर्घटना घटित होने की सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर इसकी जांच प्रारंभ की जानी है। आगे, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 में उल्लिखित है कि नियोजक निर्माण स्थल पर कर्मकारों की सुरक्षा के लिए रस्सियाँ, सेफ्टी बेल्ट, सुरक्षा जाल एवं हेलमेट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

पांच[1] औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच से पता चला कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान ***(परिशिष्ट-4.1)*** 16 निर्माण स्थलों पर हुई दुर्घटनाओं में 18 कर्मकारों की मृत्यु हुई। आगे, निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रस्तुत विवरण के अनुसार दुर्घटनाओं का कारण, स्थापनाओं में सुरक्षा उपायों में विभिन्न कमियां थीं। आगे की जांच से निम्नलिखित पता चला:

- 16 स्थापनाएं जिनमें दुर्घटना हुई उनमें से 15 स्थापनाएं पंजीकृत नहीं थी।
- इन 16 स्थापनाओं के नियोजाकों ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 की अपेक्षा अनुसार औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालयों को सूचित नहीं किया तथा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारियों ने समाचार पत्रों एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से दुर्घटनाओं का संज्ञान लिया।
- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेख उन स्थापनाओं जिनमें दुर्घटनाएं घटित हुई थी की जांच प्रारंभ होना नहीं दर्शाते थे।
- भोपाल जिले में, एक ही स्थापना में दूसरी दुर्घटना हुई जिसमें एक अन्य कर्मकार की मृत्यु हुई। इससे पता चलता है कि दुर्घटना घटित होने के बाद भी, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय तथा श्रम विभाग स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों को सुनिश्चित नहीं कर सके।
- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालयों के उप निदेशकों ने सूचित किया कि जब तक निर्माण स्थल पर कोई घटना घटित नहीं होती तब तक वे निर्माण स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं करते।

इस प्रकार, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के मानदंडों के अनुसार स्थापनाओं में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग के प्राधिकारियों के पास निर्माण कार्य स्थापनाओं के नियमित निरीक्षण के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

[1] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं सिंगरौली

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा-4.1: *मध्य प्रदेश शासन को निर्माण स्थलों के नियमित निरीक्षण के माध्यम से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन नियोजकों से सुनिश्चित करवाना चाहिए।*

4.3 स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं/कम किया जाना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 282 में अधिनियम अथवा नियमों के अंतर्गत निर्धारित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों अथवा भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण के अनुपालन की जांच करने के लिए किसी भी स्थापना का निरीक्षण करते समय निरीक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति को परिभाषित किया गया है। आगे, मध्य प्रदेश शासन ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रयोजन के लिए श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश को भवन और संनिर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए मुख्य निरीक्षक के रूप में तथा श्रम निरीक्षकों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त (मार्च 2001) किया। श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश ने सभी निरीक्षकों को निरीक्षण करने के निर्देश जारी (जुलाई 2019) किए।

2017-18 से 2021-22 के दौरान, चयनित जिलों में स्थापनाओं के निरीक्षणों की कुल संख्या **तालिका-4.2** में दर्शित है:

तालिका-4.2: चयनित जिलों में 2017-18 से 2021-22 के दौरान किए गए स्थापनाओं के निरीक्षणों की संख्या

श्रम कार्यालय का नाम	निरीक्षणों की संख्या (श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार)						संबंधित श्रम कार्यालयों द्वारा सूचित किए गए निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षणों में भिन्नता
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग		
सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल	05	07	16	0	0	28	19	09
सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर	0	0	01	0	0	01	05	-04
सहायक श्रम आयुक्त, जबलपुर	01	01	04	3	0	09	11	-02
सहायक श्रम आयुक्त, इंदौर	04	05	04	0	0	13	प्रदान नहीं किया	–
सहायक श्रम आयुक्त, मुरैना	0	0	0	0	0	0	0	0
सहायक श्रम आयुक्त, सिंगरौली	0	0	0	0	0	0	0	0

(स्रोत: श्रम आयुक्त कार्यालय एवं चयनित जिलों के जिला श्रम कार्यालयों से एकत्रित डेटा)

यह देखा जा सकता है कि श्रम आयुक्त कार्यालय एवं जिला श्रम कार्यालयों द्वारा प्रदाय किये गए निरीक्षण डेटा में विसंगति थी। यह देखा गया कि जिला श्रम कार्यालयों द्वारा किए गए

निरीक्षणों की संख्या में कोई समरूपता नहीं थी। आगे, श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश ने सूचित (अप्रैल 2023) किया कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के अंतर्गत स्थापनाओं के निरीक्षण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, श्रम आयुक्त कार्यालय एवं जिला श्रम कार्यालयों ने नियमित निरीक्षण नहीं किए। स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं/कम किया जाना यह दर्शाता है कि श्रम आयुक्त/निरीक्षक नियोजकों से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में विफल रहे।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा-4.2 : *मध्य प्रदेश शासन को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन की जांच करने के लिए निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।*

अध्याय-V

निधि का प्रबंधन एवं उपयोग

अध्याय-V
निधि का प्रबंधन एवं उपयोग

5.1 निधि का प्रबंधन

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 24 (1) एवं 24 (2) में प्रावधान है कि मण्डल की निधि हितग्राहियों द्वारा किए गए अंशदान एवं मण्डल द्वारा प्राप्त उपकर की राशि से गठित की जाएगी। इस प्रकार गठित निधि का उपयोग मण्डल के कृत्यों के निर्वहन, निर्माण कर्मकारों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपायों आदि के व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाना था।

5.1.1 उपलब्ध निधियों का कम उपयोग

मण्डल के पास 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपलब्ध निधि एवं उसके व्यय का विवरण ***तालिका-5.1*** में दिया गया है।

तालिका 5.1: मण्डल के पास 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपलब्ध उपकर निधि एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष[1] के दौरान प्राप्तियां	उपलब्ध निधि	व्यय (उपलब्ध निधि का प्रतिशत)	सावधि जमा/बैंक खाते में निष्क्रिय निधि
2017-18	1,687.02	494.40	2,181.42	342.42 (15.70)	1,839.00
2018-19	1,839.00	682.49	2,521.49	333.75 (13.24)	2,187.74
2019-20	2,187.74	708.57	2,896.31	584.33 (20.17)	2,311.98
2020-21	2,311.98	577.92	2,889.90	436.20 (15.09)	2,453.70
2021-22	2,453.70	634.50	3,088.20	1,128.57 (36.54)	1,959.63

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए मण्डल के बैलेंस शीट तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा)

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है, कि मण्डल के पास 2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹1,839 करोड़ से ₹2,453.70 करोड़ तक की अनुपयोगी निधि थी एवं उक्त अवधि के दौरान निधि का उपयोग उपलब्ध निधि के 13 प्रतिशत से 37 प्रतिशत के मध्य था। भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए निधि का उपयोग करने के बजाय, मण्डल ने धनराशि सावधि जमाओं/बैंक खातों में रखा था।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि मण्डल ने कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए 20 कल्याणकारी योजनाएं, चार श्रमोदय विद्यालय एवं एक श्रमोदय आदर्श

[1] बैंक खाते में रखे गये निधि पर प्राप्त ब्याज सहित

आई.टी.आई. को कार्यान्वित किया। कर्मकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार योजनाओं पर खर्च किया गया था। आगे, पंजीकृत कर्मकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को 2022-23 से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता था जिसके लिए मण्डल ने वर्ष 2022-24 के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को ₹445 करोड़ वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, मण्डल कर्मकारों एवं उनके आश्रितों के लिए नई योजनाएं लागू करने की प्रक्रिया में है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए निधि उपलब्ध होने के बावजूद, मण्डल अभी भी नई कल्याण योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में है जो भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण योजनाओं के लिए उपलब्ध निधि के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में विफलता को दर्शाता है।

अनुशंसा-5.1: *मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए कल्याण निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।*

5.1.2 मण्डल द्वारा अधिसूचित न की गई योजनाओं के लिए उपकर निधि से भुगतान, ₹416.33 करोड़

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 21.08.2015 एवं 04.09.2015 के आदेशों में लेख किया कि उपकर निधि का उपयोग उन व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जा रहा था जिनके लिए इसे एकत्र किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया (जून 2016) कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 22 (1) (एच) केवल कर्मकारों एवं उनके परिवारों के कल्याण के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर निधि के व्यपवर्तन की अनुमति नहीं देता है। आगे, किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए एवं व्यय की गई धनराशि को केंद्र सरकार को सूचित करते हुए तत्काल प्रभाव से भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर निधि में वापस किया जाना चाहिए।

मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मण्डल के सचिव ने "मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018" के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के उपभोक्ताओं एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को "सरल बिजली बिल योजना 2020" के अंतर्गत प्रदान की गई सब्सिडी के भुगतान के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (एम.पी.पी.एम.सी.एल.) को उपकर निधि से ₹416.33 करोड़ का भुगतान (अक्टूबर 2021) किया। हमने देखा कि मण्डल ने पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए उपर्युक्त योजनाओं को

न ही अधिसूचित किया था और न ही ये योजनाएँ विशेष रूप से भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के लिए लागू की गईं थी। इस प्रकार, इन योजनाओं पर होने वाला व्यय केवल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए बनाए गए उपकर निधि से समायोजित किए जाने योग्य नहीं था।

हमने आगे देखा कि मण्डल के कल्याण अधिकारी ने प्रस्तुत किया (17 सितंबर 2021) था कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 22 (1) (ए) से (जी) में उल्लिखित लाभों के अलावा अन्य लाभों पर व्यय करना संभव नहीं था। इसके बावजूद, मण्डल के सचिव ने मण्डल के अध्यक्ष का अनुमोदन (30 सितंबर 2021) लिया एवं मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को ₹416.33 करोड़ का भुगतान (अक्टूबर 2021) किया। सचिव ने नवंबर 2021 में मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की। इस प्रकार, मण्डल ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार के निर्देश का उल्लंघन करते हुए, राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं एवं संबल योजना के लाभार्थियो के लिए कार्यान्वित योजनाओं हेतु ₹416.33 करोड़ के उपकर निधि के व्यपवर्तन की अनुमति दी। आगे, राशि उपकर निधि में वापस नहीं की गई (फरवरी 2023 तक) है।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि मंत्रिपरिषद ने मण्डल के पंजीकृत कर्मकारों को सरल बिजली बिल योजना एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना का लाभ प्रदान करने का आदेश (2018) दिया एवं सब्सिडी की राशि मण्डल द्वारा वहन किया जाना था। इस निर्णय के अनुक्रम में, ऊर्जा विभाग ने मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा मण्डल के पंजीकृत कर्मकारों को दी जाने वाली ₹416.33 करोड़ की सब्सिडी की मांग की। तत्पश्चात, मण्डल ने श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ऊर्जा विभाग को ₹416.33 करोड़ का भुगतान (अक्टूबर 2021) किया। ऊर्जा विभाग ने राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अग्रेषित किया था। ऊर्जा विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने हितग्राहियों (पंजीकृत भवन कर्मकारों) के विवरण को सत्यापित किए बिना ₹416.33 करोड़ का भुगतान किया एवं अभी भी मण्डल के पास हितग्राहियों की सूची नहीं थी। इसके अतिरिक्त, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम एवं नियमों के अनुसार मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों को बिजली सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए अपनी स्वयं की योजना को अधिसूचित करना आवश्यक था। इस प्रकार, हितग्राहियों के विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या उपकर निधि से प्रदाय लाभ केवल पंजीकृत हितग्राहियों को ही दिया गया था।

5.1.3 अवास्तविक बजट अनुमान एवं कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन न होना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 269 में उल्लेखित है कि मण्डल प्रत्येक वर्ष 10 मार्च से पहले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित प्राप्तियां एवं व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार तथा अनुमोदित करेगा।

2017-18 से 2021-22 के दौरान वर्षवार बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ तथा व्यय **तालिका-5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका-5.2: वर्ष 2017-22 के दौरान अनुमानित एवं वास्तविक प्राप्तियां/व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर प्राप्तियां			व्यय		
	अनुमानित	वास्तविक	कमी/ आधिक्य (प्रतिशत में)	अनुमानित	वास्तविक	कमी/ आधिक्य (प्रतिशत में)
2017-18	400.00	377.80	(-) 5.55	1,636.14	342.42	(-) 79.07
2018-19	400.00	548.32	(+) 37.08	1,663.51	333.75	(-) 79.94
2019-20	400.00	565.38	(+) 41.35	880.16	584.33	(-) 33.61
2020-21	400.00	437.39	(+) 9.35	286.01	436.20	(+) 52.51
2021-22	400.00	522.53	(+) 30.63	677.36	1,128.57	(+) 66.61
योग	**2,000.00**	**2,451.42**		**5,143.18**	**2,825.27**	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए मण्डल के बजट दस्तावेज तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा)

तालिका-5.2 से देखा जा सकता है कि अनुमानित प्राप्ति एवं व्यय की तुलना में वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय में अत्यधिक कमी/आधिक्य था। यह स्पष्ट है कि 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए मण्डल द्वारा अनुमोदित बजट अवास्तविक था। मण्डल के बजट दस्तावेजों की संवीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

- बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 22(1)(ख) के साथ पठित बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 का नियम 277(1) मण्डल को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हितग्राहियों को पेंशन भुगतान के लिए योजना बनाने का अधिकार देता है। हमने देखा कि मण्डल ने पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान (2017-18 एवं 2018-19 में प्रत्येक वर्ष के लिए ₹500 करोड़, 2019-20 में ₹50 करोड़) किया। आगे, 2020-21 के दौरान कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया एवं अंततः मण्डल ने 2021-22 में योजना को बंद कर दिया।

- मण्डल ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 277(1) के अनुसार कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया।
- बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 269 में निर्धारित मण्डल के बजट की तैयारी के लिए प्रपत्र-27 को न अपनाने के कारण, 2017-18 से 2020-21 के दौरान सावधि जमा रसीदों (एफ.डी.आर.) एवं बचत खातों पर प्राप्त ₹516.42 करोड़[2] का ब्याज बजट में सम्मिलित करने से छूट गया।
- मण्डल ने 2018-19 के दौरान सामान्य कल्याण गतिविधियों पर बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 280(2) में निर्धारित 20 प्रतिशत की नियत सीमा से ₹5.54 करोड़[3] अधिक व्यय किया।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 3.2.3.2 में उक्त मुद्दों को उजागर करने के बावजूद, प्राप्तियों एवं व्यय में कमी अभी भी लगातार बनी हुई है।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि मण्डल ने पिछले वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय के आधार पर अगले वर्ष के लिए बजट तैयार किया। अनुमानित व्यय में अंतर का कारण पंजीकृत कर्मकारों की संख्या में परिवर्तन एवं सभी योजनाओं का मांग पर आधारित होना था। इसी प्रकार, नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति के कारण अनुमानित प्राप्तियों में अंतर आया। उत्तर में आगे कहा गया कि मण्डल ने पेंशन योजना अधिसूचित (2013) की जो भारत सरकार की स्वावलंबन योजना के अनुरूप थी। 2015 में स्वावलंबन योजना बंद होने के कारण, योजना लागू नहीं की जा सकी। 2017-18 से 2021-22 के दौरान, योजना की अधिसूचना एवं योजना में संभावित संशोधन के कारण बजट प्रावधान किया गया था। वर्तमान में, यह योजना बंद है। आगे, अनुग्रह सहायता योजना के कार्यान्वयन के कारण, पृथक से कोई समूह बीमा योजना अधिसूचित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 2022-23 से सावधि जमा रसीद एवं बचत बैंक खाते पर अर्जित ब्याज को बजट के निर्धारित प्रारूप-27 में दर्शाया गया है। 20 प्रतिशत की अनुमत्य सीमा से ₹5.54 करोड़ अधिक व्यय के संबंध में, शासन ने उत्तर दिया कि अनुमत्य सीमा से अधिक व्यय मुख्य रूप से श्रमोदय विद्यालयों/आई.टी.आई. के निर्माण के कारण था जो कि एक बार का व्यय था। आगे, शासन द्वारा सूचित (जून 2024) किया गया कि लेखापरीक्षा अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए मण्डल ने *प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना* में कर्मकारों

[2] 2017-18 में ₹116.29 करोड़, 2018-19 में ₹112.93 करोड़, 2019-20 में ₹147.91 करोड़ एवं 2020-21 में ₹139.29 करोड़

[3] ₹349.52 करोड़ के कुल व्यय पर ₹75.44 करोड़ (21.58 प्रतिशत)

को पंजीकृत करने तथा पहली प्रीमियम राशि का भुगतान करने का निर्णय (मण्डल की 37वीं बैठक) लिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि **तालिका-5.2** से देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान मण्डल की अनुमानित प्राप्तियाँ समान (₹400 करोड़) रहीं जबकि वास्तविक प्राप्तियाँ ₹377.80 करोड़ एवं ₹565.38 करोड़ के मध्य थी। आगे, 2017-18 से 2021-22 के दौरान व्यय में 34 एवं 80 प्रतिशत के मध्य कमी थी जो दर्शाता है कि बजट अनुमान न तो वास्तविक था और न ही पिछले वर्ष के व्यय पर आधारित था। पेंशन योजना एवं समूह बीमा योजना के कार्यान्वयन न करने के लिए बताए गए कारण स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अत्यधिक धनराशि होने के बावजूद भी, मण्डल ने पंजीकृत कर्मकारों को इन योजनाओं के लाभ से वंचित रखा। इसके अतिरिक्त, अनुमत्य सीमा से अधिक व्यय के लिए दिए गए कारण भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 280(2) का उल्लंघन किया।

5.1.4 आयकर विवरणी दाखिल नहीं करने के कारण प्रतिदाय प्राप्त न होना, ₹4.43 करोड़

आयकर अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में, खंड (23सी) (iv) के अंतर्गत आने वाली किसी भी आय में कल्याणार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित संस्थान जो पूरे भारत में अथवा किसी राज्य में अथवा राज्यों में संस्थान के उद्देश्यों एवं इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, के द्वारा प्राप्त किसी भी आय को शामिल नहीं किया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 (4सी)(ई) के अंतर्गत, धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक संस्थान, अपनी पिछले वर्ष की आय का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा यदि संस्था की कुल आय निर्धारण योग्य है। आगे, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 264(ई) में देय राशि की समय पर वसूली हेतु मण्डल के कर्तव्यों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है।

मण्डल की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की संवीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए मण्डल की बैलेंस शीट में ₹4.43 करोड़[4] के स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) दावे प्राप्ति के रूप में दिखाए गए थे। हमने आगे देखा कि मण्डल ने उक्त अवधि के दौरान आयकर विवरणी (आई.टी.आर.) दाखिल नहीं किया था। यद्यपि, मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विवरणी दाखिल (अक्टूबर 2022) किया, जिसमें मण्डल ने अपनी आय को धारा 10 (23सी)(iv) के अंतर्गत कर से छूट के साथ ही ₹1.45 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया था। मण्डल को उपर्युक्त वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विवरणी दाखिल करके स्रोत

[4] 2017-18 में ₹2.03 करोड़, 2018-19 में ₹0.97 करोड़, 2019-20 में ₹1.20 करोड़ एवं 2020-21 में ₹0.23 करोड़

पर कर कटौती के रूप में काटे गये ₹4.43 करोड़ के प्रतिदाय के लिए दावा करना चाहिए था क्योंकि मण्डल की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी)(iv) के अंतर्गत छूट प्राप्त थी। इस प्रकार, आयकर विवरण दाखिल करने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान कटौती की गई ₹4.43 करोड़ की राशि का प्रतिदाय नहीं हो सका।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि मण्डल के वार्षिक लेखों (2017-18 से आगे) की लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं हुई थी जिसके कारण आयकर विवरणी दाखिल नहीं किया जा सका। उत्तर में आगे बताया गया कि मण्डल ने विलम्ब की माफ़ी के लिए आयुक्त, आयकर से अनुरोध किया था। 2017-18 से 2020-21 तक के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा 2022 में पूर्ण हुई। आयकर विवरणी प्रपत्र क्र. 10, 10 बी.बी. प्रस्तुत करने में हुए विलंब की माफ़ी के लिए पत्र दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से आयकर कार्यालय से अनुरोध किया गया था। प्रकरण आयकर कार्यालय, भोपाल में विचाराधीन है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा में हुए विलम्ब के लिए कोई कारण नहीं बताया जिससे लेखापरीक्षा द्वारा देरी के औचित्य की जाँच की जा सके |

अनुशंसा-5.2: *मण्डल को आयकर विवरणियाँ दाखिल न करने हेतु उत्तदायित्व निर्धारित करना चाहिए।*

5.1.5 अनुपयोगी योजना निधि मण्डल को अंतरित न करना, ₹ 4.41 लाख

मण्डल ने अप्रैल 2018 से योजनांतर्गत एवं प्रशासनिक व्ययों के भुगतान प्रसंस्करण के लिए ई-पीओ प्रणाली लागू की। तदनुसार, मण्डल ने मण्डल की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिलों/नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों में संचालित बैंक खातों को बंद करने हेतु निर्देश जारी (नवंबर 2018) किए। इन बैंक खातों में बची हुई अव्ययित राशि को मण्डल को प्रेषित किया जाना था।

नगर परिषद, आंतरी (ग्वालियर) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने फरवरी 2023 तक अप्रयुक्त योजना निधि की राशि ₹4.41 लाख मण्डल को अंतरित नहीं किया। इस प्रकार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन किया एवं योजना राशि को अपने बैंक खाते में अनुपयोगी रखा।

शासन ने बताया (जून 2023) कि सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासन द्वारा आगामी उत्तर प्रेषित नहीं किया गया।

अनुशंसा-5.3: *मध्य प्रदेश शासन को नगरीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के पास अनुपयोगी पड़ी निधि को मण्डल को प्रेषित करना सुनिश्चित करना चाहिए।*

5.1.6 उपकर का अनुचित लेखांकन

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के नियम 264 (सी) में प्रावधान है कि मण्डल लेखों के उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

मण्डल में उपकर की प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मण्डल को 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपकर प्रेषण से ₹2,451.42 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। उपकर राशि की कुल प्राप्तियों में से, मण्डल ने प्रत्यक्ष जमा के रूप में ₹1,110.57 करोड़ लेखाबद्ध किया एवं इन जमाकर्ताओं का विवरण मण्डल के पास उपलब्ध नहीं था। जमाकर्ताओं एवं उनसे संग्रहित की गई राशि के विवरण की अनुपलब्धता एवं प्राप्तियों को उपकर प्रत्यक्ष जमा के रूप लेखाबद्ध किया जाना दर्शाता है कि मण्डल ने प्राप्तियों का लेखांकन उचित प्रकार से नहीं किया था एवं किसी विवाद की स्थिति में उपकर के वास्तविक जमाकर्ता को सुनिश्चित नहीं कर सकेगा।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि मण्डल को सीधे मण्डल के बैंक खाते में उपकर प्राप्त हुआ, इसलिए, जमाकर्ताओं यथा विभागों/उपक्रमों/मण्डलों/निजी निर्माण एजेंसियों का विवरण स्पष्ट नहीं था। इस संबंध में, मण्डल एवं शासन ने सभी शासकीय निर्माण एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें कीं। इसके अतिरिक्त, मण्डल ने नियमित रूप से सभी संबंधितों को निर्धारित प्रक्रिया यथा भुगतान गेटवे, मण्डल के विभागीय पोर्टल इत्यादि के माध्यम से उपकर का भुगतान करने हेतु पत्र भेजे ताकि जमाकर्ता का विवरण स्पष्ट हो सके। मण्डल पिछले वर्षों में जमा किए गए उपकर का विवरण भी बैंको से एकत्र कर रहा था। आगे, 2023-24 से मण्डल उपकर प्राप्तियों का व्यवस्थित लेखा रख रहा है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्यवाही कर रही है।

5.2 कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निधि का उपयोग

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, मण्डल ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान 23 कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कीं। चयनित जिलों में चयनित 10 कल्याणकारी योजनाओं की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण निष्कर्ष परिलक्षित हुये जैसाकि नीचे चर्चा किया गया है:

5.2.1 कल्याण योजना निधि से संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान, ₹2.07 करोड़

(अ) अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता का संदिग्ध भुगतान

अनुग्रह सहायता हेतु अधिसूचना के अनुसार, पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता पंजीकृत कर्मकार के उत्तराधिकारी को प्रदान किया जायेगा। अनुग्रह सहायता के लिए, पंजीकृत कर्मकार के पात्र नामनिर्देशिती द्वारा पदाभिहित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना आवश्यक था। पदाभिहित अधिकारी आवेदक की सत्यापन/सत्यता की जांच उपरांत आवेदन को स्वीकृत करेगा एवं मृत पंजीकृत कर्मकार के उत्तराधिकारी के बैंक खाते में अंत्येष्टि सहायता[5] एवं अनुग्रह सहायता[6] की राशि का भुगतान करेगा।

चयनित नगरीय निकायों में अंत्येष्टि/अनुग्रह भुगतान प्रकरण की नस्तियों की संवीक्षा एवं श्रमसेवा पोर्टल डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 142[7] प्रकरणों में पदाभिहित अधिकारियों[8] ने 52 बैंक खातों जो पंजीकृत कर्मकारों/उत्तराधिकारियों के नहीं थे में ₹1.68 करोड़ की अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता का लाभ स्वीकृत एवं जमा किया था जैसा कि विवरण *परिशिष्ट-5.1* में वर्णित है। हमने देखा कि इन मामलों में संलग्न बैंक खातों की प्रति में या तो हेरफेर किया गया था अथवा बैंक खाता आवेदक से संबंधित नहीं था। हमने आगे देखा कि पदाभिहित अधिकारी ने प्रकरणों का सत्यापन किया था तथा टीप दिया था कि दावेदारों की वास्तविकता एवं उनके बैंक खाते के विवरण दावेदार की मूल बैंक पासबुक से सत्यापित किए गए थे। विवरण तालिका-5.3 में दिया गया है:

---

[5] ₹5,000 (14 अगस्त 2015 से 14 फरवरी 2019 के दौरान) एवं तत्पश्चात ₹6,000

[6] जनवरी 2017 से जून 2018 के दौरान-सामान्य मृत्यु के मामले में अनुग्रह सहायता के अंतर्गत सहायता राशि- ₹2.00 लाख यदि कर्मकार की आयु 45 वर्ष से कम है एवं यदि आयु 45 वर्ष से अधिक है तो ₹1.00 लाख तथा आगे दुर्घटना मृत्यु के प्रकरण में ₹4.00 लाख। जुलाई 2018 से मार्च 2022 के दौरान-सामान्य मृत्यु के प्रकरण में-₹2.00 लाख एवं दुर्घटना मृत्यु के प्रकरण में - ₹4.00 लाख

[7] 77 कर्मकार पंजीकरण कार्ड संख्या के विरुद्ध दावा किया गया।

[8] आयुक्त, नगर निगम, भोपाल एवं जबलपुर; तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चितरंगी (सिंगरौली), कैलारस (मुरैना), पहाड़गढ़ (मुरैना) एवं वैढ़न (सिंगरौली)।

तालिका-5.3: अनधिकृत व्यक्तियों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान का विवरण				
पदाभिहित अधिकारी का नाम	**संदिग्ध कपट के लिए कार्यप्रणाली**	**प्रकरणों की संख्या**	**संदिग्ध कपटपूर्ण आहरित राशि को जमा करने के लिए उपयोग किए गए बैंक खातों की संख्या**	**राशि (₹ लाख में)**
आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	आवेदन के साथ संलग्न बैंक पासबुक की प्रति में हेराफेरी की गई थी। बैंक खातों के सत्यापन से पता चला कि जिन बैंक खातों में अनुग्रह सहायता की राशि जमा की गई थी वह मृत कर्मकारों के उत्तराधिकारी से संबंधित नहीं था।	84	27	100.40
आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर		38	14	39.14
आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	अनधिकृत व्यक्ति ने अपनी आधार पहचान में बदलाव किया एवं मृत कर्मकार की अनुग्रह सहायता का दावा करने के लिए अपने पिता के नाम के स्थान पर मृत कर्मकार का नाम दर्ज किया।	2	1	2.06
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पहाड़गढ़, मुरैना	बैंक खातों (ई-भुगतान आदेश से एकत्रित) जिनमे अनुग्रह सहायता की राशि जमा की गई थी के सत्यापन से पता चला कि बैंक खाता मृत कर्मकार के उत्तराधिकारी से संबंधित नहीं था।	3	2	6.00
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना		2	1	2.05
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वैढ़न, सिंगरौली		9	4	10.22
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चितरंगी, सिंगरौली		4	3	8.00
योग		**142**	**52**	**167.87**

स्पष्ट रूप से, पदाभिहित अधिकारियों ने अनधिकृत व्यक्तियों के साथ मिलकर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता की ₹1.68 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण संवितरण किया।

(ब) विवाह सहायता का संदिग्ध भुगतान

विवाह सहायता की अधिसूचना के अनुसार, विवाह सहायता पंजीकृत कर्मकार को स्वयं के विवाह (महिला कर्मकार के मामले में) एवं पंजीकृत कर्मकार की दो पुत्रियों के विवाह के लिए प्रदान की जाएगी। विवाह सहायता के लिए पात्र पंजीकृत कर्मकार को पदाभिहित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था। पदाभिहित अधिकारी आवेदक की सत्यापन/सत्यता की जांच करने के बाद आवेदन को स्वीकृत करेगा एवं पंजीकृत कर्मकार के बैंक खाते में विवाह सहायता[9] राशि का भुगतान करेगा।

चयनित नगरीय निकायों में विवाह सहायता के प्रकरणों की नस्तियों की संवीक्षा एवं श्रमसेवा पोर्टल डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 86[10] प्रकरणों में पदाभिहित अधिकारियों ने 41 बैंक खातों जो पंजीकृत कर्मकारों से संबंधित नहीं थे में ₹38.92 लाख की विवाह सहायता का लाभ स्वीकृत एवं जमा किया जैसा कि *परिशिष्ट-5.2* में वर्णित है। पदाभिहित अधिकारियों ने वही कार्यप्रणाली अपनाई जो अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण के लिए उपयोग की गई थी। हमने देखा कि पदाभिहित अधिकारी ने प्रकरण का सत्यापन किया था एवं टीप दिया कि बैंक खातों का विवरण दावेदार की मूल बैंक पासबुक से सत्यापित किया गया था। विवरण तालिका-5.4 में दिया गया है:

तालिका-5.4: विवाह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

पदाभिहित अधिकारी का नाम	संदिग्ध कपट के लिए कार्यप्रणाली	प्रकरणों की संख्या	संदिग्ध कपटपूर्ण आहरित राशि को जमा करने के लिए उपयोग किए गए बैंक खातों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	आवेदन के साथ संलग्न बैंक पासबुक की प्रतियों में हेराफेरी की गई थी। बैंक खातों के सत्यापन से पता	28	16	14.28
आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर		10	3	5.10

[9] विवाह सहायता के अंतर्गत जुलाई 2014 से जनवरी 2019 के दौरान सहायता-₹25,000 एवं तत्पश्चात फरवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान ₹51,000

[10] 64 कर्मकार पंजीकरण कार्ड नंबर के विरुद्ध दावा किया गया।

तालिका-5.4: विवाह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण				
पदाभिहित अधिकारी का नाम	**संदिग्ध कपट के लिए कार्यप्रणाली**	**प्रकरणों की संख्या**	**संदिग्ध कपटपूर्ण आहरित राशि को जमा करने के लिए उपयोग किए गए बैंक खातों की संख्या**	**राशि (₹ लाख में)**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुंडम, जबलपुर	चला कि जिन बैंक खातों में विवाह सहायता की राशि जमा की गई थी वह आवेदकों से संबंधित नहीं थे।	2	1	1.02
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पहाड़गढ़, मुरैना	बैंक खातों (ई-भुगतान आदेश से एकत्रित) के सत्यापन से पता चला कि जिन बैंक खातों में विवाह सहायता जमा किये गये थे वे पंजीकृत कर्मकारों से संबंधित नहीं थे।	13	5	5.85
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना		27	12	10.13
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वैढ़न, सिंगरौली		2	1	0.50
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वैढ़न, सिंगरौली	पदाभिहित अधिकारी ने एक कर्मकार को ₹25,000/- की विवाह सहायता का भुगतान (फरवरी 2019) किया। पदाभिहित अधिकारी ने उसी कर्मकार को उसी पुत्री के विवाह के लिए फिर से विवाह सहायता के ₹51,000/- का भुगतान (अगस्त 2020) किया।	1	1	0.51
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद	पदाभिहित अधिकारी ने दो पंजीकृत कर्मकारों को दो बार	3	2	1.53

तालिका-5.4: विवाह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण				
पदाभिहित अधिकारी का नाम	संदिग्ध कपट के लिए कार्यप्रणाली	प्रकरणों की संख्या	संदिग्ध कपटपूर्ण आहरित राशि को जमा करने के लिए उपयोग किए गए बैंक खातों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
पंचायत, चितरंगी, सिंगरौली	विवाह सहायता का भुगतान[11] किया। हमने देखा कि दोनों प्रकरणों में, विवाह सहायता का दावा अलग-अलग कर्मकार पंजीयन कार्ड संख्या का उपयोग करके किया गया था।			
योग		86	41	38.92

स्पष्ट रूप से, पदाभिहित अधिकारियों ने अनधिकृत व्यक्तियों के साथ मिलकर विवाह सहायता के ₹38.92 लाख का संदिग्ध कपटपूर्ण संवितरण किया।

इस प्रकार, आयुक्त, नगर निगम, भोपाल एवं जबलपुर तथा जबलपुर, मुरैना एवं सिंगरौली जिलों के जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों में अंत्येष्टि सहायता, अनुग्रह सहायता एवं विवाह सहायता के ₹2.07 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया।

शासन ने कहा (जून 2023) कि सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल, जबलपुर, सिंगरौली एवं मुरैना से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

शासन द्वारा आगामी उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसा-5.4: (अ) मध्यप्रदेश शासन को संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों के प्रकरणों की जाँच करनी चाहिए तथा कपट की गयी राशि की तत्काल वसूली के अलावा इन भुगतानों की स्वीकृति/प्राप्ति में शामिल अधिकारियों एवं व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

[11] ₹1.53 लाख का पहला भुगतान अक्टूबर 2020 एवं अप्रैल 2021 में किया गया था। आगे, समान पंजीकृत कर्मकारों को फिर से समान पुत्रियों के विवाह के लिए ₹1.53 लाख का भुगतान (मई 2021 एवं अगस्त 2021) किया गया।

(ब) अन्य मामलों में कपटपूर्ण भुगतान की संभावना को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश शासन को इन नगरीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं में स्वीकृत सभी प्रकरणों की जांच करानी चाहिए। आगे, मण्डल को पदाभिहित अधिकारियों द्वारा स्वीकृत मामलों की नियमित जांच के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए।

5.2.2 अपंजीकृत श्रमिकों को अनियमित रूप से लाभ दिया जाना, ₹5.01 करोड़

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक भवन कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत मण्डल द्वारा निधि से प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

हमने देखा कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, मण्डल ने निर्माण कार्य स्थल पर अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के मामले में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान हेतु योजना अधिसूचित (दिसंबर 2014) की। योजना के अंतर्गत, मण्डल ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 153 अपंजीकृत श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ₹5.01 करोड़[12] की अनुग्रह सहायता के भुगतान की स्वीकृति दी।

शासन ने बताया (जून 2023) कि मण्डल ने निर्माण स्थल पर अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के प्रकरण में अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान करने के लिए योजना अधिसूचित (2014) की। ये श्रमिक वास्तविक कर्मकार थे जो जागरूकता के अभाव में पंजीकृत नहीं किए जा सके थे। यह योजना बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के साथ सपठित बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 के अनुसार थी एवं मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक अनुमोदन के बाद लागू की गई थी।

शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जागरूकता की कमी के कारण पात्र कर्मकारों को पंजीकृत नहीं किया जा सका था जो दर्शाता है कि मण्डल कर्मकारों के मध्य जागरूकता फैलाने में विफल रहा। इस प्रकार, मण्डल द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए जारी अधिसूचना बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

5.2.3 अनुग्रह सहायता की अनियमित स्वीकृति

भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता हेतु दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता उनके/उनकी नामनिर्देशिती/उत्तराधिकारियों को देय होगी।

[12] 2017-18 के दौरान 31 प्रकरणों में ₹75.11 लाख, 2018-19 के दौरान 41 प्रकरणों में ₹141.86 लाख, 2019-20 के दौरान 21 प्रकरणों में ₹80.58 लाख, 2020-21 के दौरान 40 प्रकरणों में ₹140.99 लाख एवं 2021-22 के दौरान 20 प्रकरणों में ₹62.60 लाख

आयुक्त, नगर निगम, सिंगरौली के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक पंजीकृत कर्मकार (पंजीयन कार्ड संख्या वी.के.1635347) ने अपनी पत्नी की मृत्यु के विरुद्ध अनुग्रह सहायता का दावा किया एवं आयुक्त, नगर निगम, सिंगरौली ने ₹2 लाख की अनुग्रह सहायता अनियमित रूप से स्वीकृत (मार्च 2019) की। पंजीकृत कर्मकार को अनुग्रह सहायता स्वीकृत करना अनियमित था क्योंकि योजना के दिशानिर्देशानुसार, अनुग्रह सहायता केवल पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु की दशा में ही स्वीकृत की जानी थी।

शासन ने कहा (जून 2023) कि सहायक श्रम आयुक्त, सिंगरौली से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

शासन द्वारा आगामी उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसा-5.5 : *विभाग को अनियमित भुगतान के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।*

5.2.4 कर्मकारों के पंजीयन हेतु परियोजना पर निष्फल व्यय

मण्डल ने गांवों में रहने वाले कर्मकारों की पहचान, सत्यापन एवं पंजीयन के लिए मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (जागरूकता, पहचान, पंजीयन तथा विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना) परियोजना, 2016 शुरू (अगस्त 2016) की जिससे पात्र हितग्राहियों का पंजीयन एवं मण्डल के लाभ प्रदान किया जा सके। यह परियोजना मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद (परिषद) के माध्यम से क्रियान्वित की जानी थी। मण्डल ने परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित (जनवरी 2017) किया एवं समझौता ज्ञापन के अनुसार परिषद को प्रत्येक गांव में की गई गतिविधियों का रियल टाइम डेटा एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मण्डल को प्रदान करना था तथा परिषद को भुगतान दो किस्तों में किया जाना था।

मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मण्डल ने पहली किस्त के रूप में परिषद को ₹20.54 करोड़ (कुल सहमत राशि ₹27.39 करोड़ के विरुद्ध) का भुगतान (फरवरी 2017) किया। हमने देखा कि परिषद ने 13 प्रतिशत व्यक्तियों (आवश्यक 3.94 करोड़ व्यक्तियों के विरुद्ध 51.89 लाख व्यक्तियों) का सर्वेक्षण किया। यद्यपि, परिषद ने न तो मण्डल को कोई डेटा उपलब्ध कराया और न ही किसी भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार को पंजीकृत किया। परिषद ने किए गए कार्यों के विवरण का उल्लेख किए बिना ₹18.71 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत (सितंबर 2018) किया। चूंकि परियोजना वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने सदस्य सचिव, योजना आयोग, भोपाल से परिषद को भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस करने का अनुरोध (फरवरी 2019) किया।

परिषद ने मण्डल को केवल ₹2.05 करोड़ (₹0.21 करोड़ की ब्याज राशि सहित) वापस (फरवरी 2019) किया।

इस प्रकार, कर्मकारों की पहचान, सत्यापन एवं पंजीयन पर किया गया ₹18.71 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप एक भी निर्माण कर्मकार पंजीकृत नहीं हो सका। मण्डल ने स्वीकार (दिसंबर 2022) किया कि परिषद ने लक्षित कार्यों को पूरा नहीं किया एवं प्रत्येक गांव में की गई गतिविधियों का रियल टाइम डेटा प्रस्तुत नहीं किया।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि मण्डल ने मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (जागरूकता, पहचान, पंजीयन तथा विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना) परियोजना, 2016 लागू की। उद्दिष्ट लक्ष्यों एवं वांछित परिणामों की प्राप्ति न होने के कारण, तत्कालीन प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ने जन अभियान परिषद से पहली क़िस्त की राशि लौटाने का अनुरोध (फरवरी 2019) किया। तत्पश्चात, मण्डल ने ₹20.54 करोड़ की पहली किस्त के 90 प्रतिशत के उपयोग की जानकारी मांगी (सितंबर 2019)। जन अभियान परिषद ने केवल ₹2.05 करोड़ लौटाए। आगे, जन अभियान परिषद् ने शेष राशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत (अगस्त 2023) किया जिसकी समीक्षा की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्दिष्ट लक्ष्यों एवं वांछित परिणामों की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है कि मण्डल ने परियोजना की व्यवहार्यता को जाने बिना परियोजना को लागू किया। आगे, मण्डल ने परियोजना की निगरानी नहीं की एवं पूरी तरह से परिषद पर निर्भर रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹18.71 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

5.2.5 कौशल प्रशिक्षण योजनांतर्गत अनियमित भुगतान

मण्डल ने मध्य प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012 अधिसूचित (अक्टूबर 2012)किया। योजना के खंड (ई) के उप-कंडिका (7) में परिकल्पित है कि मण्डल प्रशिक्षण संस्थानों को प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निर्धारित शुल्क[13] का भुगतान करेगा। इसके बाद, मण्डल ने एक अधिसूचना (मार्च 2014) के माध्यम से योजना के खंड (ई) के उप-कंडिका (7) को विलोपित कर दिया।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि तीन जिलों[14] के सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों ने 2018-19 के दौरान कौशल प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत

[13] 90 घंटे तक के पाठ्यक्रम की अवधि के लिए ₹500 एवं उससे अधिक के लिए ₹800 प्रति प्रमाणपत्र

[14] भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर जिला

प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को अनियमित रूप से ₹7.94 लाख[15] का भुगतान किया।

शासन ने कहा (जून 2023) कि सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर से जानकारी एकत्र की जा रही है।

शासन द्वारा आगामी उत्तर नहीं दिया गया।

5.2.6 संबद्धता प्राप्त करने के लिए अधिक भुगतान

श्रम विभाग ने अधिनियम के अंतर्गत स्थापित श्रमोदय विद्यालयों के संचालन के लिए श्रमोदय संचालन समिति (समिति) का गठन (अगस्त 2017) किया। समिति के उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य श्रमोदय विद्यालयों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के अनुमोदित पाठ्यक्रम की सुविधाएं प्रदान करना था। तदनुसार, श्रमोदय विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किया जाना था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानदंडों के अनुसार, शासन द्वारा संचालित विद्यालयों को नियमित संबद्धता के लिए ₹20,000 का भुगतान करना था।

यद्यपि, हमने देखा कि चार श्रमोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने ₹10 लाख (प्रत्येक विद्यालय के लिए ₹2.50 लाख) का भुगतान करके अशासकीय संस्थानों के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए आवेदन (दिसंबर 2018) किया। हमने आगे देखा कि समिति ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्पष्ट (मार्च 2019) किया कि श्रमोदय विद्यालय शासकीय संस्थान थे। इस प्रकार, श्रमोदय विद्यालयों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ₹9.20 लाख का अधिक भुगतान किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भुगतान की गई अधिक राशि की वापसी हेतु अभिलेखों में कोई कार्यवाही होना नहीं पाया गया।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि संबंधित प्रधानाचार्यों ने श्रमोदय विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने हेतु सभी कार्यवाही किया था। श्रमोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने सूचित किया कि स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने श्रमोदय विद्यालयो को सत्र 2018-19 में अशासकीय विद्यालयों की श्रेणी में वर्गीकृत किया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता हेतु आवेदन करते समय, विद्यालयों को अशासकीय मानते हुए आवेदन किया गया था एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबद्धता शुल्क ₹20,000 प्रति विद्यालय के स्थान पर ₹2.50 लाख प्रति स्कूल की दर से भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श्रमोदय संचालन समिति ने मार्च 2019 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्पष्ट किया था कि श्रमोदय विद्यालय शासकीय संस्थान थे।

[15] ₹4.42 लाख (भोपाल), ₹2.72 लाख (जबलपुर) एवं ₹0.80 लाख (इंदौर)

5.2.7 विद्युत प्रभार एवं विद्यालय संपत्ति की क्षति की प्रतिपूर्ति न होना

श्रमोदय संचालन समिति ने विद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया (जुलाई 2020) कि विद्यालय भवनों के परिसर में क्वारेंटाइन सेंटर के लिए प्रदाय किये जाने वाले विद्युत प्रभारों सहित सभी सुविधाओं का खर्च जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वहन करेंगे। निर्देश की प्रति जिला कलेक्टरों को भी पृष्ठांकित की गई थी।

श्रमोदय विद्यालय, भोपाल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के दौरान, श्रमोदय विद्यालय, भोपाल का उपयोग क्वारेंटाइन सेंटर के रूप में किया गया था एवं विद्यालय ने उपकर निधि से ₹9.25 लाख के विद्युत प्रभार का भुगतान किया था। हमने आगे देखा कि श्रमोदय विद्यालय प्रशासन ने विद्यालय भवन को क्वारेंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग करने से संबंधित व्ययों के लिए जिला कलेक्टर से ₹29.56 लाख[16] का मांग (दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021) की। उपर्युक्त भुगतान दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद अभी भी लंबित था जो दर्शाता है कि स्कूल प्रशासन ने व्यय की वापसी के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, निधि को पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण से पृथक अन्य उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित किया गया ।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि मण्डल ने व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कलेक्टर, भोपाल को पत्र (नवंबर 2020 एवं जनवरी 2023) लिखा। धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल कलेक्टर, भोपाल के साथ नियमित रूप से मामले का अनुशीलन करने एवं व्ययों की प्रतिपूर्ति कराने में विफल रहा।

5.2.8 अपात्र हितग्राहियों को साईकिल सहायता की स्वीकृति

मण्डल ने (मार्च 2015) 'साईकिल अनुदान योजना' की शुरूआत की। आगे, मण्डल द्वारा किए गए संशोधन (दिनांक 29 जुलाई 2016 की अधिसूचना के माध्यम से) के अनुसार, कर्मकार अपने पंजीयन के दो वर्ष पूर्ण होने के बाद योजना का लाभ उठा सकता है। साईकिल अनुदान योजना के अंतर्गत, मण्डल पंजीकृत कर्मकारों को साईकिल का देयक जमा करने पर साईकिल की लागत का 90 प्रतिशत अथवा ₹4,000 (जो भी कम हो) तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

नगर निगम, भोपाल एवं जबलपुर तथा नगर परिषद, कैलारस, मुरैना के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि नगरीय निकायों के जोनल अधिकारी/आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी

[16] विद्युत प्रभारों के बकाए के लिए ₹9.25 लाख एवं विद्यालय संपत्ति के नुकसान के लिए ₹20.31 लाख।

ने सात[17] प्रकरणों में अनियमित रूप से ₹0.28 लाख की साईकिल सहायता स्वीकृत की। हमने देखा कि पंजीकृत कर्मकारों ने अपने पंजीयन से दो वर्ष की अवधि पूरी नहीं की थी एवं इसलिए साईकिल सहायता की स्वीकृति के लिए पात्र नहीं थे। विवरण ***परिशिष्ट-5.3*** में दिया गया है।

इस प्रकार, नगरीय निकायों के पदाभिहित अधिकारियों ने मामलों को स्वीकृति देते समय योजना के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹0.28 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

शासन ने कहा (जून 2023) कि सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल, जबलपुर एवं मुरैना से जानकारी एकत्र की जा रही है।

शासन द्वारा आगामी उत्तर नहीं दिया गया।

5.2.9 उपकर निधि से वाहनों का अनियमित क्रय

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 24 (2) में प्रावधान है कि भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि का उपयोग (क) धारा 22 के तहत मण्डल के कार्यों के निर्वहन में हुए व्ययों को पूरा करने के लिए; (ख) मण्डल के सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक; और (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय की पूर्ति के लिए किया जायेगा।

मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मण्डल ने उपकर निधि से ₹34.30 लाख[18] की कुल लागत से दो वाहन क्रय (जून 2016 एवं मई 2018) किए थे। ये वाहन मण्डल के उपयोग में नहीं थे एवं मण्डल के अलावा अन्य विभाग/संगठन में उपयोग के लिए प्रदाय कराए गए थे। मण्डल ने इन वाहनों के केवल फरवरी 2022 के पी.ओ.एल. देयक उपलब्ध कराए जिसमें मण्डल ने उपकर निधि से इन वाहनों के पी.ओ.एल. प्रभार के लिए ₹0.30 लाख का भुगतान किया था।

इस प्रकार, मण्डल के विघटित[19] होने की अवधि में मण्डल के सचिव ने प्रशासनिक निधि से इन वाहनों की खरीद पर ₹34.30 लाख का अनियमित व्यय किया। मण्डल द्वारा इन वाहनों के पी.ओ.एल. का भुगतान भी अनियमित था क्योंकि मण्डल ने मण्डल के उद्देश्यों के लिए इन वाहनों के उपयोग को इंगित करने वाले अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। स्पष्ट रूप से, मण्डल के

[17] नगर निगम भोपाल के 10 सर्वेक्षित हितग्राहियों में से चार, नगर निगम, जबलपुर के 10 सर्वेक्षित हितग्राहियों में से दो एवं नगर परिषद, कैलारस, मुरैना के 16 सर्वेक्षित हितग्राहियों में से एक।

[18] 2016 एवं 2018 में लागत क्रमश: ₹18.01 लाख एवं ₹16.29 लाख की इनोवा क्रिस्टा

[19] जनवरी 2014 से दिसंबर 2019 तक

सचिव ने भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों एवं उनके परिवारों के कल्याण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कल्याण निधि को व्यपवर्तित किया।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि दोनों वाहनों का उपयोग श्रम कार्यालयों के निरीक्षण एवं सिंगल क्लिक कार्यक्रम, उपकर संग्रहण, योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा, पर्यवेक्षण आदि जैसे शासकीय दौरों के लिए पूल वाहन के रूप में किया गया था। शासकीय स्तर पर पर्यवेक्षण के कारण, उपकर संग्रहण में वृद्धि हुई है, इसलिए, दोनों पूल वाहनों के संबंध में, उपकर निधि का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निरीक्षण/पर्यवेक्षण के लिए वाहनों के उपयोग को दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा के सत्यापन हेतु उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

5.2.10 प्रसूति सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम का समायोजन न होना

मण्डल ने महिला कर्मकारों को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान 12 सप्ताह के न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत प्रदान करने के लिए प्रसूति सहायता योजना प्रारंभ (2004) की।

मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मण्डल ने पंजीकृत कर्मकारों को प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) को ₹25.00 करोड़ (2017-18 के दौरान) एवं ₹55.47 करोड़ (2019-20 के दौरान) अंतरित किए। हमने देखा कि मण्डल ने उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं योजना के अंतर्गत लाभान्वित कर्मकारों के विवरण की प्राप्ति के अभाव में प्रसूति सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रदान की गई राशि को समायोजित नहीं किया जो मण्डल की शिथिलता को दर्शाता है। आगे, हितग्राहियों के विवरण/सूची के अभाव में, लेखापरीक्षा पात्र हितग्राहियों को प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत सहायता संवितरित होना सत्यापित नहीं कर सका।

शासन ने बताया (जून 2023 एवं जून 2024) कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 2018 में मण्डल की प्रसूति सहायता योजना को अपनी योजना में विलय कर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मांग के अनुसार, मण्डल ने 2017-20 के दौरान अपने पंजीकृत कर्मकारों के लिए ₹80.47 करोड़ प्रदाय किये। विभिन्न पत्रों के माध्यम से उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं हितग्राहियों की सूची मांगी गयी है। प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के माध्यम से मामला उठाए जाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हितग्राहियों की वर्षवार एवं जिलावार संख्या उपलब्ध कराई है। हितग्राही-वार सूचना उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पुनः सूचित किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही सुधारात्मक कार्यवाही कर रही है। आगे, चार वर्ष बीत जाने के बाद भी मण्डल पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर कल्याण निधि के उपयोग की पुष्टि करने में विफल रहा।

अनुशंसा-5.6 : *मण्डल को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर भुगतानों को समायोजित करना चाहिए एवं वास्तविक हितग्राहियों को लाभ प्रदान किये जाने का सत्यापन भी करना चाहिए।*

5.2.11 योजनाओं के अंतर्गत दावों के निपटान में विलम्ब

राजपत्र अधिसूचना (जुलाई 2014) के अनुसार, पदाभिहित अधिकारियों को आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 15 कार्यदिवसों एवं 30 कार्यदिवसों के भीतर हितग्राहियों/हितग्राहियों के उत्तराधिकारियों को विवाह सहायता एवं अनुग्रह सहायता क्रमशः का लाभ स्वीकृत करना आवश्यक था। आगे, पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु के प्रकरण में, पदाभिहित अधिकारियों को पंजीकृत कर्मकार के मृत्यु के दिन अंत्येष्टि सहायता का भुगतान करना था।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 69 प्रकरणों में (169 में से) पदाभिहित अधिकारियों ने विवाह सहायता, अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता का लाभ विलम्ब से स्वीकृत किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- तीन जिलों (सिंगरौली, ग्वालियर एवं जबलपुर) में, पदाभिहित अधिकारियों ने विवाह सहायता के 22 प्रकरण (90 प्रकरणों में से) 28 एवं 396 दिनों के मध्य के विलम्ब से स्वीकृत किया।
- सभी चयनित जिलों में, पदाभिहित अधिकारियों ने अनुग्रह सहायता के 23 प्रकरण (55 प्रकरणों में से) 18 एवं 523 दिनों के मध्य के विलम्ब से स्वीकृत किया।
- सभी चयनित जिलों में, पदाभिहीत अधिकारी सभी चयनित 24 प्रकरणों में मृत्यु के दिन अंत्येष्टि सहायता का लाभ प्रदान करने में विफल रहे। हमने देखा कि पदाभिहीत अधिकारियों ने भुगतान में 20 एवं 396 दिनों के मध्य का विलम्ब किया।

इस प्रकार, पदाभिहित अधिकारी (संबंधित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी) हितग्राहियों को उचित देय का समय पर भुगतान करने में विफल रहे।

शासन ने बताया (जून 2023) कि संबंधित सहायक श्रम आयुक्त, सिंगरौली, ग्वालियर एवं जबलपुर से जानकारी एकत्र की जा रही है।

शासन द्वारा आगामी उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसा-5.7: *मण्डल को कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।*

5.3 निष्कर्ष

"भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण" की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि मध्य प्रदेश शासन ने छह वर्ष के विलंब से नियमों को अधिसूचित किया एवं मण्डल का गठन किया। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 2002 में सुरक्षा उपायों की कमी के लिए दंड का प्रावधान नहीं था, जैसाकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम में परिकल्पित था। हमने देखा कि विभाग ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम में दंड का प्रावधान होने के बावजूद दुर्घटना मृत्यु के 18 मामलों में भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के नियोजकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश शासन ने 2014-23 के दौरान मण्डल में कर्मकारों एवं नियोजकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं की परिणामस्वरूप कर्मकारों एवं नियोजकों के सुझाव/मामलें अनुपलब्ध रहे। आगे, चयनित जिलों के सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारियों ने 2017-22 के दौरान चयनित निर्माण कार्य विभागों के कार्यालयों द्वारा निष्पादित 10,985 निर्माण कार्यों को पंजीकृत नहीं किया। मण्डल ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत करने के लिए मीडिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से जागरूकता अभियान नहीं चलाया।

मण्डल ने प्राप्ति के लिए बैंक में चेक/डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत नहीं किए परिणामस्वरूप ₹50.67 लाख के उपकर की प्राप्ति नहीं हुई। आगे, चयनित जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों ने 17 से 52 माह की समाप्ति के बाद भी चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी नहीं किये परिणामस्वरूप ₹4.68 करोड़ के उपकर एवं ब्याज की वसूली नहीं हुई। निर्धारण अधिकारियों (सहायक श्रम आयुक्तों/जिला श्रम अधिकारियों) ने नियोजकों द्वारा मण्डल को उपकर की वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना 54 मामलों में ₹2.68 करोड़ का उपकर अनियमित रूप से समायोजित किया। इसके अतिरिक्त, हमने कटौती किए गए उपकर का प्रेषण नहीं किये जाने, उपकर की कटौती नहीं/कम होने एवं मण्डल को उपकर विलम्ब से अंतरित किये जाने के मामले देखे।

मण्डल ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों, माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार के निर्देश का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं एवं संबल योजना के लाभार्थियों हेतु योजनाओं के लिए उपकर निधि से ₹416.33 करोड़ के व्यपवर्तन की अनुमति दी। आगे, मण्डल ने वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप स्रोत पर कर कटौती के ₹4.43 करोड़ का प्रतिदाय प्राप्त नहीं हुआ जबकि मण्डल की आय को आयकर से छूट प्राप्त थी।

आयुक्त, नगर निगम, भोपाल एवं जबलपुर तथा जबलपुर, मुरैना एवं सिंगरौली जिलों के जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अनधिकृत व्यक्तियों के बैंक खातों में अंत्येष्टि

सहायता, अनुग्रह सहायता एवं विवाह सहायता के ₹2.07 करोड़ का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान किया। आगे, मण्डल ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपंजीकृत श्रमिकों के लिये अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता की योजना अधिसूचित (दिसंबर 2014) की। 2017-22 के दौरान, मण्डल ने 153 प्रकरणों में ₹5.01 करोड़ का भुगतान किया। मण्डल ने गांवों में रहने वाले कर्मकारों की पहचान, सत्यापन और पंजीयन के लिए परियोजना, 2016 लागू की। यद्यपि, परियोजना पर किया गया ₹18.71 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप एक भी संनिर्माण कर्मकार पंजीकृत नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, मण्डल 2017-18 एवं 2019-20 के दौरान प्रसूति सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अंतरित ₹80.47 करोड़ को समायोजित करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहा। लेखापरीक्षित नगरीय निकायों के आयुक्तों/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने 18 दिवसों एवं 523 दिवसों के मध्य के विलम्ब से विवाह सहायता, अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता के लाभ स्वीकृत किये जो मण्डल के कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।

ग्वालियर
दिनांक : 16 दिसम्बर 2024

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 24 दिसम्बर 2024

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 1.5, पृष्ठ संख्या 4)

(क) चयनित जिलों, नगर निगमों/पालिकाओं/परिषदों एवं निर्माण कार्य विभाग के कार्यालयों का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम (चयन का आधार)	चयनित दो नगरीय निकायों का नाम (रेण्डम सेम्पलिंग द्वारा चयनित)		निर्माण कार्य विभाग के दो कार्यालयों का विवरण (भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के आधार पर चयनित)	
		नगर निगम	नगर पालिका/परिषद		
1.	भोपाल (अधिकतम उपकर संग्रहण के आधार पर)	नगर निगम, भोपाल	नगर पालिका, बैरसिया	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, अनुरक्षण संभाग-2, भोपाल	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संभाग, भोपाल
2.	ग्वालियर (अधिकतम उपकर संग्रहण के आधार पर)	नगर निगम, ग्वालियर	नगर परिषद, आंतरी	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग-1, ग्वालियर	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, थाटीपुर संभाग, ग्वालियर
3.	इन्दौर (अधिकतम उपकर संग्रहण के आधार पर)	नगर निगम, इन्दौर	नगर परिषद, देपाल्पूर	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (बी./आर.) संभाग-1, इन्दौर	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अनुरक्षण संभाग-2, इन्दौर
4.	जबलपुर (कल्याणकारी योजनाओं पर अधिकतम व्यय के आधार पर)	नगर निगम, जबलपुर	नगर परिषद, बरेला	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (बी./आर.) संभाग-1, जबलपुर	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (बी./आर.) संभाग-2, जबलपुर
5.	मुरैना (कल्याणकारी योजनाओं पर अधिकतम व्यय के आधार पर)	नगर निगम, मुरैना	नगर परिषद, कैलारस	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग मुरैना	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग जौरा, मुरैना
6.	सिंगरौली (कल्याणकारी योजनाओं पर अधिकतम व्यय के आधार पर)	नगर निगम, सिंगरौली	नगर परिषद, बरगवां	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग, सिंगरौली	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग-2, सिंगरौली

(ख) स्तरीकृत रेण्डम सेम्पलिंग के माध्यम से चयनित 10 कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

स. क्र.	चयनित योजनाओं के नाम
1.	विवाह सहायता योजना, 2014
2.	पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना, 2004
3.	श्रमोदय विद्यालय (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर) के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय
4.	कौशल विकास योजना, 2012
5.	विज्ञापन एवं मुद्रण के लिए योजना
6.	साईकिल अनुदान योजना, 2014
7.	मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार शहरी आवास योजना, 2013
8.	एम.पी.पी.एस.सी. एवं यू.पी.एस.सी. परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना, 2012
9.	मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार ग्रामीण आवास योजना, 2013
10.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना, 2013

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3, पृष्ठ संख्या 8)

मण्डल के मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयों में संस्वीकृत एवं कार्यरत कार्मिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (मार्च 2022 तक की स्थिति में)

स. क्र.	पद	मण्डल कार्यालय के लिए			मैदानी कार्यालयों के लिए		
		स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	आधिक्य/ कमी	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	आधिक्य/ कमी
1.	सचिव	01	01	00	00	00	00
2.	सहायक सचिव	02	02	00	00	00	00
3.	लेखा अधिकारी	01	01	00	00	00	00
4.	जिला कल्याण अधिकारी (सहायक श्रम अधिकारी)	01	01	00	50	01	(-)49
5.	कल्याण पर्यवेक्षक (श्रम निरीक्षक)	03	02	(-)01	110	57	(-)53
6.	लेखापाल, ग्रेड-1	01	00	(-)01	00	00	00
7.	सहायक ग्रेड-3 सह स्टेनो टाइपिस्ट सह कंप्यूटर ऑपरेटर	07	06	(-)01	50	01	(-)49
8.	वाहन चालक	03	03	00	50	00	(-)50
9.	भृत्य सह चौकीदार	06	08	(+) 02	50	00	(-)50
योग		**25**	**24**	**(-)03/ (+) 02**	**310**	**59**	**(-)251**

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 3.1.1, पृष्ठ संख्या 19)

उपकर की प्राप्ति के लिए बैंक में जमा नहीं किए गए चेक/डिमांड ड्राफ्ट का विवरण

स. क्र.	वर्ष	उपकर जमाकर्ता का नाम	जिला	चेक/डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) क्रमांक	चेक/डी.डी. का दिनांक	राशि (₹ में)
1.	2017-18	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड	सागर	574536	12-05-2017	5,59,442
2.	2017-18	नगर पालिका निगम	सागर	369764	20-10-2017	20,246
3.	2017-18	नगर पालिका निगम	सागर	369644	02-08-2017	3,582
4.	2017-18	नगर पालिका निगम	सागर	369642	01-08-2017	9,841
5.	2017-18	नगर पालिका परिषद	सागर	1031	12-10-2017	2,678
6.	2017-18	छावनी परिषद	सागर	952964	09-10-2017	1,866
7.	2017-18	सहायक श्रम आयुक्त	सागर	521267	25-08-2017	27,571
8.	2017-18	आयुध निर्माणी	जबलपुर	756995	13-06-2017	5,10,528
9.	2017-18	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	जबलपुर	682	01-09-2017	4,330
10.	2017-18	एम.पी. औद्योगिक केंद्र	जबलपुर	781985	06-10-2017	2,65,239
11.	2017-18	अस्पा इंजीनियरिंग	भोपाल	108939	06-04-2017	17,091
12.	2017-18	सहायक श्रम आयुक्त	भोपाल	263	25-05-2017	2,64,011
13.	2017-18	सहायक श्रम आयुक्त	भोपाल	262	20-04-2017	2,00,000
14.	2017-18	लोक निर्माण विभाग	भोपाल	706257	11-09-2017	6,950
15.	2017-18	नगर परिषद	रीवा	549481	12-01-2018	62,143
16.	2017-18	वेब एजेंसी	होशंगाबाद	32359	02-06-2017	4,791
17.	2017-18	वेब एजेंसी	होशंगाबाद	32370	04-04-2017	99,109
18.	2017-18	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	धार	522284	08-06-2017	3,03,369

स. क्र.	वर्ष	उपकर जमाकर्ता का नाम	जिला	चेक/डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) क्रमांक	चेक/डी.डी. का दिनांक	राशि (₹ में)
19.	2017-18	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	धार	522292	13-07-2017	44,168
20.	2017-18	मुख्य अस्पताल अधीक्षक	बालाघाट	8164	09-06-2017	221
21.	2017-18	गैरीसन इंजीनियर	ग्वालियर	83670	25-11-2017	4,03,413
22.	2017-18	गैरीसन इंजीनियर	ग्वालियर	80073	23-12-2017	2,00,049
23.	2017-18	गैरीसन इंजीनियर	ग्वालियर	83681	23-12-2017	6,22,820
24.	2017-18	कृषि उपज मंडी	रायसेन	65485	18-07-2017	3,596
25.	2017-18	जिला सरकारी केंद्रीय मर्यादित	रायसेन	4051	14-06-2017	7,276
26.	2017-18	जिला सरकारी केंद्रीय मर्यादित	रायसेन	4058	14-06-2017	1,418
27.	2017-18	जिला सरकारी केंद्रीय मर्यादित	रायसेन	4054	14-06-2017	506
28.	2017-18	जिला सरकारी केंद्रीय मर्यादित	रायसेन	4042	14-06-2017	9,500
29.	2017-18	जिला सरकारी केंद्रीय मर्यादित	रायसेन	4048	14-06-2017	6,991
30.	2017-18	जिला सरकारी केंद्रीय मर्यादित	रायसेन	4045	14-06-2017	9,661
31.	2017-18	सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित	रायसेन	2499	15-06-2017	19,324
32.	2017-18	सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित	रायसेन	2493	15-06-2017	7,796
33.	2017-18	सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित	रायसेन	2496	15-06-2017	1,416
34.	2017-18	सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित	रायसेन	2502	15-06-2017	2,644
35.	2017-18	कृषि उपज मंडी	रायसेन	68081	25-09-2017	4,961
36.	2017-18	कृषि उपज मंडी	विदिशा	24727	03-10-2017	92,638
37.	2017-18	कृषि उपज मंडी	विदिशा	24737	10-10-2017	15,590
38.	2017-18	कृषि उपज मंडी	विदिशा	24936	10-10-2017	40,152
39.	2017-18	विमल कुमार जैन	छतरपुर	471	07-04-2017	8,366
40.	2017-18	एम.पी. जी.एस.वी. प्राइवेट लिमिटेड	खरगोन	304084	31-10-2017	40,634

स. क्र.	वर्ष	उपकर जमाकर्ता का नाम	जिला	चेक/डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) क्रमांक	चेक/डी.डी. का दिनांक	राशि (₹ में)
41.	2017-18	वन अधिकारी	मंडला	333991	03-06-2017	16,533
42.	2017-18	नगर परिषद	सतना	817547	02-12-2017	25,101
43.	2017-18	नगर पालिका परिषद	सतना	913155	20-07-2017	1,86,164
44.	2017-18	कृषि उपज मंडी	टीकमगढ़	508617	17-05-2017	2,059
45.	2017-18	कृषि उपज मंडी	टीकमगढ़	333322	23-08-2017	8,523
46.	2017-18	कृषि उपज मंडी	टीकमगढ़	333331	06-12-2017	1,191
47.	2017-18	श्रम अधिकारी	भिण्ड	989078	12-05-2017	9,960
48.	2017-18	नगर पालिका परिषद	देवास	995	16-09-2017	17,860
49.	2017-18	एम.पी. पावर जनरेटिंग कंपनी	अनूपपुर	48966	10-07-2017	42,681
50.	2018-19	कृषि उपज मंडी	सतना	अनुपलब्ध	07-04-2018	11,439
51.	2018-19	गैरीसन इंजीनियरिंग	जबलपुर	अनुपलब्ध	06-06-2018	5,73,404
52.	2019-20	सहायक श्रम आयुक्त	इन्दौर	279813	04-03-2019	5,000
53.	2020-21	सहायक श्रम आयुक्त	उज्जैन	1943	13-03-2020	1,00,000
54.	2020-21	सहायक श्रम आयुक्त	सागर	574045	11-02-2020	2,363
55.	2020-21	सहायक श्रम आयुक्त	सागर	950297	04-03-2020	26,786
56.	2021-22	कल्पतरु पावर	अनुपलब्ध	314348	02-07-2021	1,13,086
57.	2021-22	आगर परिषद	अनुपलब्ध	688157	06-08-2020	4,111
58.	2021-22	प्लस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड	अनुपलब्ध	562	05-04-2021	10,000
59.	2021-22	नगर निगम भोपाल	भोपाल	502252	22-02-2021	4,730
योग						**50,66,918**

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 3.1.3, पृष्ठ संख्या 20)

निर्धारण प्रकरणों का विवरण जिनमें राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण उपकर का संग्रहण लंबित रहा

(राशि ₹ में)

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	ठेकेदार/स्थापना का नाम	पंजीयन क्रमांक	निर्धारण आदेश का दिनांक	उपकर की निर्धारित राशि	वसूली के लिए लंबित उपकर की राशि	विलम्ब महीनों में (दिसंबर 2022 तक)	उपकर की लंबित राशि पर ब्याज (2% प्रति माह की दर से)	कुल देय राशि (उपकर + ब्याज)
1.	ए.एल.सी., भोपाल	विकल्प कंस्ट्रक्शन	45/2019	31-12-2020	3,92,020	3,92,020	23	1,80,329	5,72,349
2.		व्यंकटेश डेवलपर्स	16/2019	29-10-2020	11,97,000	36,772	25	18,386	55,158
3.		श्री महमूद अली	05/2019	31-10-2019	29,09,005	18,95,189	37	14,02,440	32,97,629
4.		मेसर्स कुमार इन्फ्राटेक	34/2018	27-06-2019	44,67,600	29,42,057	41	24,12,487	53,54,544
5.		उमेश तिवारी, शुभ एस्टर	24/2018	24-12-2019	7,31,250	7,31,250	35	5,11,875	12,43,125
6.		डॉ. राधाशरण गोस्वामी	02/2018	30-06-2021	2,00,812	95,812	17	32,576	1,28,388
7.		सुश्री राजकुमारी जैन एवं श्री राजेंद्र कुमार जैन	47/2017	20-08-2018	3,58,425	2,78,058	52	2,89,180	5,67,238
8.		मेसर्स श्रवण होम्स	36/2017	28-08-2018	38,00,000	31,64,224	51	32,27,508	63,91,732
9.		मेसर्स गिरिराज कंस्ट्रक्शन	31/2017	31-07-2018	3,12,450	62,750	52	65,260	1,28,010
10.		शोभित बिल्डर्स	16/2017	29-07-2018	6,61,207	6,61,207	52	6,87,655	13,48,862
11.		अग्रवाल कंस्ट्रक्शन	11/2017	30-10-2018	16,13,156	10,80,776	49	10,59,160	21,39,936

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	ठेकेदार/स्थापना का नाम	पंजीयन क्रमांक	निर्धारण आदेश का दिनांक	उपकर की निर्धारित राशि	वसूली के लिए लंबित उपकर की राशि	विलम्ब महीनों में (दिसंबर 2022 तक)	उपकर की लंबित राशि पर ब्याज (2% प्रति माह की दर से)	कुल देय राशि (उपकर + ब्याज)
12.	ए.एल.सी., भोपाल	अमलतास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	09/2017	20-08-2018	13,88,760	8,61,510	52	8,95,970	17,57,480
13.	ए.एल.सी., ग्वालियर	वर्मा हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर	01/2018	28-06-2021	50,670	50,670	17	17,228	67,898
14.		बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड	64/2019	21-01-2020	8,00,000	8,00,000	34	5,44,000	13,44,000
15.		वेदांश मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल	02/2020	14-02-2020	10,04,646	10,04,646	34	6,83,159	16,87,805
16.		ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल	70/2019	03-03-2020	95,010	80,010	33	52,807	1,32,817
17.	ए.एल.सी., मुरैना	श्री आदित्य गोयल पुत्र श्री किशोरी गोयल, नारायण पब्लिक स्कूल	39/2013	09-10-2019	1,51,500	1,51,500	38	1,15,140	2,66,640
18.		एकेडमिक हाईट स्कूल, करुआगांव, ए.बी. रोड, मुरैना	76/2017	09-10-2019	3,40,500	3,40,500	38	2,58,780	5,99,280
19.		मेसर्स जी.आर. विवर्स कंपनी, औद्योगिक क्षेत्र, बानमोर	04/2018	13-12-2019	75,385	75,385	36	54,277	1,29,662
20.		मेसर्स पुंज लॉयड, मालनपुर	13/2018	26-02-2019	20,00,925	3,57,093	45	3,21,384	6,78,477

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	ठेकेदार/स्थापना का नाम	पंजीयन क्रमांक	निर्धारण आदेश का दिनांक	उपकर की निर्धारित राशि	वसूली के लिए लंबित उपकर की राशि	विलम्ब महीनों में (दिसंबर 2022 तक)	उपकर की लंबित राशि पर ब्याज (2% प्रति माह की दर से)	कुल देय राशि (उपकर + ब्याज)
21.	ए.एल.सी., मुरैना	डॉ. अवनीश माहेश्वरी	29/2012	31-12-2018	15,653	15,653	47	14,714	30,367
22.		श्री टीकाराम गुप्ता	21/2012	24-11-2018	15,717	15,717	48	15,088	30,805
23.	ए.एल.सी, जबलपुर	श्रीमती सरोज त्रिवेदी एवं डॉ. ए. त्रिवेदी	36/2018	30-03-2019	66,888	66,888	44	58,861	1,25,749
24.		श्री अशोक पहारिया, अर्थव रियल ईफ्रान प्राइवेट लिमिटेड	46/2018	30-03-2019	4,35,000	4,35,000	44	3,82,800	8,17,800
25.		सुश्री ममता पाठक, अदबीला डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	48/2018	30-03-2019	35,95,820	35,95,820	44	31,64,322	67,60,142
26.		गोल्डन बिल्डकॉन, मी. एवरेस्ट एंटरप्राइजेज, मेसर्स ग्लोबल बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स	52/2018	25-02-2019	4,61,000	92,192	45	82,973	1,75,165
27.		अशोका डेवलपर्स	56/2018	30-03-2019	1,48,890	1,48,890	44	1,31,023	2,79,913
28.		श्री सुधीर दत्त एवं विशाल दत्त, दत्त एसोसिएट्स	64/2018	11-03-2019	1,00,830	1,00,830	45	90,747	1,91,577
29.		सुश्री नीलम यादव, 1803-1804, गोकुल, धोबी घाट	77/2018	11-03-2019	3,40,000	3,40,000	45	3,06,000	6,46,000

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	ठेकेदार/स्थापना का नाम	पंजीयन क्रमांक	निर्धारण आदेश का दिनांक	उपकर की निर्धारित राशि	वसूली के लिए लंबित उपकर की राशि	विलम्ब महीनों में (दिसंबर 2022 तक)	उपकर की लंबित राशि पर ब्याज (2% प्रति माह की दर से)	कुल देय राशि (उपकर + ब्याज)
30.	ए.एल.सी., जबलपुर	सुश्री आरती जायसवाल, ओम साईं अर्कस कंस्ट्रक्शन	78/2018	30-03-2019	7,34,000	7,34,000	44	6,45,920	13,79,920
31.		जसूजा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	86/2018	25-01-2019	9,20,000	9,20,000	46	8,46,400	17,66,400
32.		एम.के. बिल्डर एंड डेवलपर्स, अमानपुर	95/2018	25-01-2020	1,75,000	1,75,000	34	1,19,000	2,94,000
33.		श्री अमन साहू, पलक विहार	97/2018	11-03-2019	1,05,830	1,05,830	45	95,247	2,01,077
34.		श्री अक्षय वैस बालाजी रिएलिटीज	122/2018	25-01-2019	3,35,000	3,35,000	46	3,08,200	6,43,200
35.		श्री जगजीत भसीन पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र मोहन भसीन	13/2019	24-09-2019	1,69,366	1,69,366	38	1,28,718	2,98,084
36.		श्री सुनील खत्री, नेपियर टाउन, जबलपुर	23/2019	30-01-2021	1,80,000	1,80,000	22	79,200	2,59,200
37.		श्रुति प्ले बड, रावण पार्क रोड, रांझी	43/2019	31-12-2020	86,990	86,990	23	40,015	1,27,005
38.		श्री मयंक शर्मा, 2394, आजाद नगर, रांझी	44/2019	28-02-2020	39,008	39,008	33	25,745	64,753

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	ठेकेदार/स्थापना का नाम	पंजीयन क्रमांक	निर्धारण आदेश का दिनांक	उपकर की निर्धारित राशि	वसूली के लिए लंबित उपकर की राशि	विलम्ब महीनों में (दिसंबर 2022 तक)	उपकर की लंबित राशि पर ब्याज (2% प्रति माह की दर से)	कुल देय राशि (उपकर + ब्याज)
39.	ए.एल.सी., जबलपुर	श्री एम.एन. गोयल पुत्र श्री डी.डी. गोयल	51/2019	29-01-2020	27,87,550	27,87,550	34	18,95,534	46,83,084
40.	ए.एल.सी, सिंगरौली	श्री नीरज सिंह पुत्र भीष्म सिंह, वैढ़न	11/2019	27-12-2019	80,657	80,657	35	56,460	1,37,117
41.		श्री मनीष अग्रवाल पुत्र रामरतन अग्रवाल, वैढ़न	05/2019	18-03-2020	70,560	10,160	32	6,502	16,662
42.		शिव शंकर इलेक्ट्रिकल्स	01/2018	29-08-2019	86,181	12,859	39	10,030	22,889
43.		अशोका कंस्ट्रक्शन, सोनभद्र, यू.पी.	47/2021	15-01-2021	3,90,000	2,180	22	959	3,139
योग						**2,55,11,019**	**17 से 52**	**2,13,34,059**	**4,68,45,078**

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 3.2.1, पृष्ठ संख्या 23)

प्रकरणों का विवरण जिनमें निर्धारण अधिकारी ने मण्डल के बैंक खाते में वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना उपकर का अग्रिम जमा होना अनुमत किया

(राशि ₹ में)

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	पंजीयन क्रमांक	स्थापना का नाम	निर्धारण आदेश का दिनांक	कुल निर्धारित उपकर	वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर जमा होना अनुमत किया गया
1.	ए.एल.सी., ग्वालियर	09/17	सेंट पीटर स्कूल	15-05-2017	65,100	65,100
2.		70/19	ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल	03-03-2020	95,010	15,000
3.		02/21	लोकवानी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	09-04-2021	97,600	38,884
4 .		20/19	होटल रेडिसन	01-06-2019	12,99,750	12,84,579
5 .		01/20	मेसर्स रॉयल किआ	15-04-2021	3,32,400	3,32,400
योग						**17,35,963**
6.	ए.एल.सी., मुरैना	35/2013	श्री शहजाद खान पुत्र हाजी करीमुद्दीन	18-10-2018	6,041	6,040
7.		10/2017	नोवा फैक्ट्री, सुंदरपुर, मुरैना	12-10-2018	27,184	27,184
8.		60/2017	विक्टर कानवेंट हाई स्कूल	16-11-2017	1,54,392	1,54,392
9.		13/2018	मेसर्स पुंज लॉयड, मालनपुर	26-02-2019	20,00,925	16,43,832
योग						**18,31,448**
10.	ए.एल.सी., भोपाल	16/2019	वेंकटेश डेवलपर्स	29-10-2020	11,97,000	11,60,228
11.		1/19	श्रीजी इन्फ्रास्पेस प्राइवेट लिमिटेड	07-03-2020	14,96,281	14,96,281

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	पंजीयन क्रमांक	स्थापना का नाम	निर्धारण आदेश का दिनांक	कुल निर्धारित उपकर	वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर जमा होना अनुमत किया गया
12.	ए.एल.सी., भोपाल	69/2019	मेसर्स कैपिटल कंस्ट्रक्शन (वर्धमान यार्न्स)	29-10-2020	15,51,696	15,51,696
13.		46/2018	जी.बी. कंस्ट्रक्शन (ब्रिज कंस्ट्रक्शन)	27-06-2019	5,97,990	5,97,990
14.		34/2018	मेसर्स कुमार इन्फ्राटेक	27-06-2019	44,67,600	15,25,543
15.		27/2018	आकार बिल्डर्स और डेवलपर्स	30-06-2021	27,56,840	27,56,840
16.		36/2017	मेसर्स श्रवण होम्स	28-08-2018	38,00,000	6,35,776
17.		31/2017	मेसर्स गिरिराज कंस्ट्रक्शन	31-07-2018	3,12,450	2,49,700
18.		23/2017	ख्यालदास कंस्ट्रक्शन	27-03-2018	17,41,800	17,41,800
19.		11/2017	अग्रवाल कंस्ट्रक्शन	30-10-2018	16,13,156	5,32,380
योग						**1,22,48,234**
20.	ए.एल.सी., इंदौर	37/17	निर्मल जैन रेडीमेड कारखाना	03-08-2018	68,653	68,653
21.		18/17	संदीप गुप्ता, सोफिकेटेड एंड मटेरियल एनालिटिक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड	20-09-2018	14,90,000	48,413
22.		390/17	श्री अजय तनवानी	30-01-2019	1,26,136	1,26,136
23.		90/20	सचिव, शिक्षक प्रशिक्षण इन्दौर के कैथोलिक डालोसोस	22-12-2020	1,82,423	1,82,423

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	पंजीयन क्रमांक	स्थापना का नाम	निर्धारण आदेश का दिनांक	कुल निर्धारित उपकर	वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर जमा होना अनुमत किया गया
24.	ए.एल.सी., इंदौर	13/16	चन्द्र कान्त शिंदे, ग्रेशिया हाईट्स	13-09-2018	2,46,868	1,27,049
25.		04/19	स्व आवासीय बंगलो	17-12-2020	11,76,400	10,23,900
26.		50/17	मिहास, प्लाट नंबर 1003, सेक्टर डी, सुदामा नगर	14-09-2018	68,522	68,522
27.		308/17	भवन निर्माण, कादंबरी नगर	30-09-2020	26,98,689	26,98,689
28.		387/17	कारखाना भवन	08-01-2019	5,34,500	5,000
29.		169/18	खसरा. संख्या 81/1/2/5/के बिचोली, मरदाना	19-12-2018	1,17,590	1,11,769
30.		260/17	सी.डी.एस.सी.ओ. का उप-क्षेत्रीय कार्यालय	21-02-2019	2,87,695	2,73,238
31.		316/18	गीतांजलि रेजीडेंसी	22-12-2020	3,61,265	3,61,265
योग						**50,95,057**
32.	ए.एल.सी., जबलपुर	02/2017	(1) श्री जय प्रकाश दलाल प्रो. (2) श्री वीरेंद्र जाट के पिता श्री सतवीर सिंह	26-10-2017	50,478	50,478
33.		03/2018	शुभ मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर मेसर्स केमतानी प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रैंड कौशल्या कैंपस	29-11-2018	7,43,088	7,43,088

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	पंजीयन क्रमांक	स्थापना का नाम	निर्धारण आदेश का दिनांक	कुल निर्धारित उपकर	वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर जमा होना अनुमत किया गया
34.	ए.एल.सी., जबलपुर	52/2018	गोल्डन बिल्डकॉन, मी. एवरेस्ट इंटरप्राइजेज	25-02-2019	4,61,000	3,68,808
35.		67/2018	मेसर्स अनमोल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स	18-01-2019	4,81,330	4,81,330
36.		78/2018	सुश्री आरती जायसवाल, ओम साईं अर्कस कंस्ट्रक्शन	30-03-2019	7,34,000	1,79,754
37.		24/2017	मेसर्स नवकर इंटरप्राइजेज	30-08-2018	59,456	59,456
38.		45/2019	श्री जीतेन्द्र जमादार	26-09-2020	2,60,656	3,88,044
योग						**22,70,958**
39.	ए.एल.सी., सिंगरौली	85/17 02-06-2017	मेसर्स अशोक कंस्ट्रक्शन कंपनी, सोनभद्र, यू.पी.	06-07-2017	23,66,956	23,66,956
40.		112/17 01-08-2017	मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज, सिंगरौली	29-08-2017	551	551
41.		84/17 02-06-2017	मेसर्स अशोक कंस्ट्रक्शन कंपनी, सोनभद्र, यू.पी.	06-07-2017	94,565	94,565
42.		2/19 18-04-2019	मुबारक हुसैन (बाजार इंडिया), सिंगरौली	08-05-2019	49,220	49,220

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	पंजीयन क्रमांक	स्थापना का नाम	निर्धारण आदेश का दिनांक	कुल निर्धारित उपकर	वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर जमा होना अनुमत किया गया
43.	ए.एल.सी., सिंगरौली	103/17 29-08-2017	मेसर्स आर.एस. शुक्ला कंस्ट्रक्शन, देवसर	29-08-2017	7,681	7,681
44.		15/19 27-12-2019	कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	27-12-2019	5,12,363	5,12,363
45.		26/17 02-06-2017	मेसर्स विकादिस कंसल्टिंग इंजीनियरिंग, भोपाल	06-07-2017	1,08,410	1,08,410
46.		41/17 02-06-2017	मेसर्स झा पावर कारपोरेशन, प्रयागराज, यू.पी.	06-07-2017	6,802	6,802
47.		132/17 01-08-2017	मेसर्स पूजा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बरगवां	29-08-2017	1,68,657	1,68,657
48.		4/18 30-11-2018	भारतीय जीवन बीमा निगम, वैढ़न शाखा	29-08-2019	1,00,000	1,00,000
49.		96/17 01-08-2017	मेसर्स श्रमिक सहकारी समिति, बरगवां	29-08-2017	5,000	50,000
50.		44/17 02-06-2017	मेसर्स जे.एस. कंस्ट्रक्शन, गुरुद्वारा कैंपस, सिंगरौली	06-07-2017	10,581	10,581
51.		111/17 01-08-2017	सर्वोदय इंडस्ट्रियल, बरगवां	29-08-2017	46,250	46,250

स. क्र.	निर्धारण अधिकारी का नाम	पंजीयन क्रमांक	स्थापना का नाम	निर्धारण आदेश का दिनांक	कुल निर्धारित उपकर	वास्तविक जमा की पुष्टि किए बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर जमा होना अनुमत किया गया
52.	ए.एल.सी., सिंगरौली	73/17 02-06-2017	मेसर्स न्यूटेक कंस्ट्रक्शंस, वैढ़न	06-07-2017	14,780	14,780
53.		119/17 01-08-2017	मेसर्स शिवम कंस्ट्रक्शन कंपनी, सिंगरौली	29-08-2017	3,562	3,562
54.		1/18 30-11-2018	शिव शंकर इलेक्ट्रिकल्स, सिंगरौली	29-08-2019	86,181	73,322
योग						**36,13,700**
महायोग						**2,67,95,360**

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 3.3.2, पृष्ठ संख्या 26)

उपकर के कम संग्रहण को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	आवेदक का विवरण	वार्ड संख्या	भवन निर्माण अनुमति दिनांक	कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत की दर (प्रति वर्ग मीटर)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार भवन निर्माण की लागत	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत पर उपकर	वास्तुकार/ नियोजक द्वारा प्रस्तुत भवन के निर्माण की अनुमानित लागत	नियोजक के अभिलेखों के अनुसार उपकर की राशि	वास्तविक रूप से जमा उपकर	उपकर का कम संग्रहण
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8 (7*1%)	9	10 (9*1%)	11	12 (8-11)
नगर निगम, जबलपुर											
1.	सेलेक्ट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड निदेशक श्री ईशेंद्र कुमार जैन पुत्र शरद कुमार जैन एवं अन्य	72	13-12-2021	2044.50	12,000	2,45,34,000	2,45,340	40,00,000	40,000	2,04,450	40,890
2.	रोहित कुमार दुबे - कृषि उपज मंडी, संचारनगर, जबलपुर	72	23-11-2020	169.74	12,000	20,36,880	20,369	16,87,000	16,870	16,973	3,396

स. क्र.	आवेदक का विवरण	वार्ड संख्या	भवन निर्माण अनुमति दिनांक	कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत की दर (प्रति वर्ग मीटर)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार भवन निर्माण की लागत	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत पर उपकर	वास्तुकार/ नियोजक द्वारा प्रस्तुत भवन के निर्माण की अनुमानित लागत	नियोजक के अभिलेखों के अनुसार उपकर की राशि	वास्तविक रूप से जमा उपकर	उपकर का कम संग्रहण
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8 (7*1%)	9	10 (9*1%)	11	12 (8-11)
3.	श्रीमती दिव्या पाठक, फर्म राधा गोविंद कंस्ट्रक्शन कंपनी	32	07-02-2022	7004.29	12,000	8,40,51,480	8,40,515	3,68,45,200	3,68,452	7,00,429	1,40,086
4.	1.श्रीमती लीना चौधरी पत्नी स्वर्गीय श्री रामोरंजन चौधरी 2.आसमा चौधरी पुत्री स्वर्गीय श्री रामोरंजन चौधरी, आकाश विहार विजय नगर	35	18-09-2020	195.50	12,000	23,46,000	23,460	15,64,837	15,648	15,649	7,811
5.	अकील अहमद खान, लेआउट प्लॉट संख्या-94, राजुल ड्रीम सिटी, अमखेड़ा, न्यू वार्ड संख्या-74	74	22-08-2020	120.05	12,000	14,40,600	14,406	12,50,000	12,500	12,500	1,906

स. क्र.	आवेदक का विवरण	वार्ड संख्या	भवन निर्माण अनुमति दिनांक	कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत की दर (प्रति वर्ग मीटर)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार भवन निर्माण की लागत	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत पर उपकर	वास्तुकार/ नियोजक द्वारा प्रस्तुत भवन के निर्माण की अनुमानित लागत	नियोजक के अभिलेखों के अनुसार उपकर की राशि	वास्तविक रूप से जमा उपकर	उपकर का कम संग्रहण
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8 (7*1%)	9	10 (9*1%)	11	12 (8-11)
6.	श्री संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राम चंद अग्रवाल, प्लॉट नं-53, हनुमलतल	24	10-03-2022	316.42	12,000	37,97,040	37,970	28,83,525	28,835	31,642	6,328
7.	श्री संजय कुमार ककवानी पुत्र स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश ककवानी, प्लॉट नं 106, वैशाली परिसर कॉलोनी, वार्ड संख्या-04, जबलपुर	4	20-09-2021	133.11	12,000	15,97,320	15,973	13,11,000	13,110	13,311	2,662
8.	श्री सुनील पटेल पुत्र श्री मदन लाल पटेल	73	01-01-2021	7313.10	12,000	8,77,57,200	8,77,572	4,69,19,200	4,69,192	7,31,310	1,46,262
9.	माँ पदमा कंस्ट्रक्शन पार्टनर श्री पवन	30	25-02-2021	4769.96	12,000	5,72,39,520	5,72,395	12,00,000	12,000	4,76,996	95,399

स. क्र.	आवेदक का विवरण	वार्ड संख्या	भवन निर्माण अनुमति दिनांक	कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत की दर (प्रति वर्ग मीटर)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार भवन निर्माण की लागत	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत पर उपकर	वास्तुकार/ नियोजक द्वारा प्रस्तुत भवन के निर्माण की अनुमानित लागत	नियोजक के अभिलेखों के अनुसार उपकर की राशि	वास्तविक रूप से जमा उपकर	उपकर का कम संग्रहण
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8 (7*1%)	9	10 (9*1%)	11	12 (8-11)
	समदरिया एवं श्री कुबेर समदरिया, नेपियर टाउन										
10.	श्री जाहिद हुसैन पुत्र स्वर्गीय अली हुसैन	11	10-03-2021	145.91	12,000	17,50,920	17,509	16,50,000	16,500	14,591	2,918
सी.एम.ओ. नगर परिषद, कैलारस, मुरैना											
11.	श्री मांगी लाल शर्मा	14	06-01-2022	175.49	7,500	13,16,175	13,162	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	13,162
नगर पालिक निगम, मुरैना											
12.	श्री दिनेश शिवहरे पुत्र श्री प्यारेलाल शिवहरे	45	09-12-2020	96.87	11,000	10,65,570	10,656	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	10,656
13.	1. श्रीमती उषा मित्तल पत्नी श्री सुरेश चंद मित्तल 2. श्री नीलेश	39	24-06-2021	493.58	11,000	54,29,380	54,294	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	44,423	9,871

स. क्र.	आवेदक का विवरण	वार्ड संख्या	भवन निर्माण अनुमति दिनांक	कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत की दर (प्रति वर्ग मीटर)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार भवन निर्माण की लागत	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत पर उपकर	वास्तुकार/ नियोजक द्वारा प्रस्तुत भवन के निर्माण की अनुमानित लागत	नियोजक के अभिलेखों के अनुसार उपकर की राशि	वास्तविक रूप से जमा उपकर	उपकर का कम संग्रहण
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8 (7*1%)	9	10 (9*1%)	11	12 (8-11)
	मित्तल पुत्र श्री सुरेश चंद मित्तल 3. श्रीमती पिंकी मित्तल पत्नी श्री नीलेश मित्तल										
14.	श्री आदित्य शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा	46	15-02-2021	188.31	11,000	20,71,410	20,714	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	16,948	3,766
15.	श्रीमती उमा देवी तोमर पत्नी शिवराज सिंह तोमर	42	16-07-2021	204.88	11,000	22,53,680	22,537	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	14,300	8,237
नगर निगम, ग्वालियर											
16.	श्री प्रवेश मित्तल	29	27-10-2020	310.18	12,000	37,22,160	37,222	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	24,815	12,407
नगर निगम, सिंगरौली											
17.	श्री यशवंत कुमार सिंह	28	26-11-2020	335.40	11,000	36,89,400	36,894	22,11,840	22,118	22,119	14,775

स. क्र.	आवेदक का विवरण	वार्ड संख्या	भवन निर्माण अनुमति दिनांक	कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत की दर (प्रति वर्ग मीटर)	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार भवन निर्माण की लागत	कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत पर उपकर	वास्तुकार/ नियोजक द्वारा प्रस्तुत भवन के निर्माण की अनुमानित लागत	नियोजक के अभिलेखों के अनुसार उपकर की राशि	वास्तविक रूप से जमा उपकर	उपकर का कम संग्रहण
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8 (7*1%)	9	10 (9*1%)	11	12 (8-11)
18.	श्री बासुदेव राम प्रजापति पुत्र शिव पूजन राम प्रजापति	41	10-12-2020	576.28	11,000	63,39,080	63,391	38,24,496	38,245	38,245	25,146
19.	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री देव प्रताप द्विवेदी	40	25-06-2020	180.88	11,000	19,89,680	19,897	9,95,000	9,950	0	19,897
20.	श्री राम लल्लू	42	26-11-2020	167.05	11,000	18,37,550	18,376	9,85,970	9,860	0	18,376
योग											5,83,951

परिशिष्ट-4.1

संदर्भ: कंडिका क्रमांक 4.2, पृष्ठ संख्या 31)

निर्माण स्थलों का विवरण जहाँ दुर्घटना मृत्यु की घटनाएं घटित हुईं

स. क्र.	स्थापना का नाम	क्या स्थापना श्रम कार्यालय में पंजीकृत था	मृतक का नाम (स्व.)	दुर्घटना दिनांक	क्या नियोक्ता ने चार घंटे के भीतर दुर्घटना की सूचना दी	सूचना प्राप्त होने का माध्यम	श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दिनांक	क्या दुर्घटना के पूर्व कोई निरीक्षण किया गया	क्या नियोक्ता ने सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया एवं सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, जूते, रस्सी, सुरक्षा जाल इत्यादि श्रमिकों को प्रदाय किया
भोपाल									
1.	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल	हाँ	राजू मेधा	15-02-2020	नहीं	अनुपलब्ध	02-03-2020	नहीं	नहीं
ग्वालियर									
2.	प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्वालियर	नहीं	बाबू आदिवासी	03-10-2021	नहीं	नियोक्ता द्वारा सूचित नहीं किया गया	10-10-2021	नहीं	नहीं
जबलपुर									
3.	निर्माणाधीन मल्टीस्टोरी भवन (प्राइवेट), 215	नहीं	दीपक पासी	06-02-2017	नहीं	समाचार पत्र	15-05-2017	नहीं	नहीं

स. क्र.	स्थापना का नाम	क्या स्थापना श्रम कार्यालय में पंजीकृत था	मृतक का नाम (स्व.)	दुर्घटना दिनांक	क्या नियोक्ता ने चार घंटे के भीतर दुर्घटना की सूचना दी	सूचना प्राप्त होने का माध्यम	श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दिनांक	क्या दुर्घटना के पूर्व कोई निरीक्षण किया गया	क्या नियोक्ता ने सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया एवं सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, जूते, रस्सी, सुरक्षा जाल इत्यादि श्रमिकों को प्रदाय किया
	प्रेम नगर, गुप्तेश्वर वार्ड जबलपुर				(12-05-2017 को सूचित किया)				
4.	निर्माणाधीन मल्टीस्टोरी होटल (केमतानी ग्रुप), तिलवाराघाट रोड, एन.एच.-7, जबलपुर	नहीं	1. विनय बारी 2. सुनीत दुबे	16-04-2018	नहीं (16-04-2018 को सूचित किया)	समाचार एजेंसी	16-04-2018	नहीं	नहीं
5.	निर्माणाधीन मल्टीस्टोरी ड्राईटेक प्रोसेसर्स इंडिया लिमिटेड (यूनिट-2) पांढुर्णा, छिंदवाड़ा	नहीं	आकाश वाघेला	16-04-2018	नहीं (24-04-2018 को सूचित किया)	नियोक्ता	24-04-2018	नहीं	नहीं
6.	निर्माणाधीन दवा बाजार, शास्त्री ब्रिज नेपियर टाउन रोड जबलपुर	नहीं	रानी बाई	22-05-2018	नहीं (28-05-2018 को सूचित किया)	समाचार पत्र	28-05-2018	नहीं	नहीं

स. क्र.	स्थापना का नाम	क्या स्थापना श्रम कार्यालय में पंजीकृत था	मृतक का नाम (स्व.)	दुर्घटना दिनांक	क्या नियोक्ता ने चार घंटे के भीतर दुर्घटना की सूचना दी	सूचना प्राप्त होने का माध्यम	श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दिनांक	क्या दुर्घटना के पूर्व कोई निरीक्षण किया गया	क्या नियोक्ता ने सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया एवं सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, जूते, रस्सी, सुरक्षा जाल इत्यादि श्रमिकों को प्रदाय किया
7.	निर्माणाधीन जिला अस्पताल, छिंदवाड़ा	नहीं	रामीला	28-01-2019	नहीं (29-01-2019 को सूचित किया)	समाचार पत्र	29-01-2019	नहीं	नहीं
8.	निर्माणाधीन पानी की टंकी, ग्राम तिलहरी, थाना गोराबाजार, जबलपुर	नहीं	राजकुमार शाह	07-01-2019	नहीं (08-02-2019 को सूचित किया)	समाचार पत्र	08-02-2019	नहीं	नहीं
9.	निर्माणाधीन (मल्टीस्टोरी भवन) गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जबलपुर	नहीं	मो. जड्डू	21-04-2021	नहीं (23-04-2021 को सूचित किया)	समाचार पत्र	23-04-2021	नहीं	नहीं
10.	निर्माणाधीन (मल्टीस्टोरी भवन), दत्त टॉवर के सामने, सुनील जसूजा साइड्ड, जबलपुर	नहीं	बृजेश गठेरिया	20-05-2021	नहीं (22-05-2021 को सूचित किया)	समाचार पत्र	22-05-2021	नहीं	नहीं

स. क्र.	स्थापना का नाम	क्या स्थापना श्रम कार्यालय में पंजीकृत था	मृतक का नाम (स्व.)	दुर्घटना दिनांक	क्या नियोक्ता ने चार घंटे के भीतर दुर्घटना की सूचना दी	सूचना प्राप्त होने का माध्यम	श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दिनांक	क्या दुर्घटना के पूर्व कोई निरीक्षण किया गया	क्या नियोक्ता ने सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया एवं सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, जूते, रस्सी, सुरक्षा जाल इत्यादि श्रमिकों को प्रदाय किया
11.	निर्माणाधीन फैक्ट्री, शीला फोम, एच.पी.सी.एल. से सटी, मेढ़ी मनेरी औद्योगिक क्षेत्र, मंडला	नहीं	फूल सिंह झारिया	25-12-2021	नहीं (26-12-2021 को सूचित किया)	समाचार पत्र	26-12-2021	नहीं	नहीं
12.	निर्माणाधीन (मल्टीस्टोरी भवन) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर	नहीं	1. महेंद्र बर्मन 2. राजेंद्र चौधरी	23-08-2022	नहीं (24-08-2022 को सूचित किया)	समाचार पत्र	24-08-2022	नहीं	नहीं
इन्दौर									
13.	बी-जोन बिजनेस स्पेस, इंदौर	नहीं	रेज़ाज़ मंडल	21-04-2018	नहीं	समाचार पत्र	07-07-2018	नहीं	नहीं
14.	आनंद ग्रीन, एम-ब्लॉक, इंदौर	नहीं	देवी सिंह	15-07-2018	नहीं	समाचार पत्र	01-09-2018	नहीं	नहीं

स. क्र.	स्थापना का नाम	क्या स्थापना श्रम कार्यालय में पंजीकृत था	मृतक का नाम (स्व.)	दुर्घटना दिनांक	क्या नियोक्ता ने चार घंटे के भीतर दुर्घटना की सूचना दी	सूचना प्राप्त होने का माध्यम	श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दिनांक	क्या दुर्घटना के पूर्व कोई निरीक्षण किया गया	क्या नियोक्ता ने सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया एवं सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, जूते, रस्सी, सुरक्षा जाल इत्यादि श्रमिकों को प्रदाय किया
सिंगरौली									
15.	एथेना जयपुर सोलर पोलर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली	नहीं	कुश कुमार	09-07-2018	नहीं	अनुपलब्ध	17-07-2018	नहीं	नहीं
16.	मंटेना बहुती सुरंग, सिंगरौली	नहीं	सिसरा बिसोई	13-07-2019	नहीं	अनुपलब्ध	17-07-2019	नहीं	नहीं

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.2.1(अ), पृष्ठ संख्या 43)

अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	पदाभिहित अधिकारी का नाम	बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कार्ड संख्या	ई-भुगतान आदेश दिनांक	संदिग्ध कपटपूर्ण जमा राशि
1.	आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	डी1920181	04-03-2020	6,000
2.		डी1920181	04-03-2020	2,00,000
3.		आर2057477	07-06-2021	2,00,000
4.		आर2057477	07-06-2021	6,000
5.		आर वी 1940660	21-01-2020	4,00,000
6.		आर वी 1940660	21-01-2020	6,000
7.		एस एन 1915451	19-11-2019	2,00,000
8.		एस एन 1915451	19-11-2019	6,000
9.		एल बी 2287585	02-03-2022	6,000
10.		एल बी 2287585	02-03-2022	2,00,000
11.		एस टी 2018045	12-05-2021	2,00,000
12.		एस टी 2018045	12-05-2021	6,000
13.		एस एस 1971395	14-06-2021	2,00,000
14.		एस एस 1971395	14-06-2021	6,000
15.		ए1922052	09-03-2020	2,00,000
16.		ए1922052	09-03-2020	6,000
17.		डी 2019750	29-10-2021	2,00,000
18.		पी एस 1920275	08-08-2020	6,000
19.		पी एस 1920275	08-08-2020	4,00,000
20.		बी1988392	16-03-2020	4,00,000
21.		बी1988392	17-03-2020	6,000
22.		के बी1914345	01-06-2021	2,00,000
23.		के बी1914345	01-06-2021	6,000
24.		आर एन 1894492	11-02-2021	6,000

स. क्र.	पदाभिहित अधिकारी का नाम	बी.ओ.सी. डब्ल्यू कार्ड संख्या	ई-भुगतान आदेश दिनांक	संदिग्ध कपटपूर्ण जमा राशि
25.	आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	आर एन 1894492	11-02-2021	2,00,000
26.		एस वाई 2233155	29-11-2021	2,00,000
27.		एस वाई 2233155	29-11-2021	6,000
28.		सी के 1901916	29-10-2020	2,00,000
29.		सी के 1901916	29-10-2020	6,000
30.		जेड एच 2010278	09-07-2020	2,00,000
31.		जेड एच 2010278	09-07-2020	6,000
32.		एच एस 2063115	06-04-2021	2,00,000
33.		एच एस 2063115	06-04-2021	6,000
34.		जे एम 1402406	08-04-2021	2,00,000
35.		जे एम 1402406	08-04-2021	6,000
36.		आर ए 2264596	09-02-2022	2,00,000
37.		आर ए 2264596	09-02-2022	6,000
38.		एस 1923386	25-10-2019	2,00,000
39.		एस 1923386	25-10-2019	6,000
40.		एस 1923359	18-09-2020	2,00,000
41.		एस 1923359	18-09-2020	6,000
42.		एम आर 2202960	04-12-2021	2,00,000
43.		एम आर 2202960	04-12-2021	6,000
44.		एस 2267140	30-12-2022	2,00,000
45.		एस 2267140	30-12-2022	6,000
46.		एस के 2074946	03-01-2022	6,000
47.		एस के 2074946	03-01-2022	2,00,000
48.		एस बी 1923381	18-09-2020	6,000
49.		एस बी 1923381	18-09-2020	2,00,000
50.		एस बी 2074971	05-07-2021	2,00,000
51.		एम आर 2105836	17-01-2022	6,000
52.		एम आर 2105836	17-01-2022	2,00,000

स. क्र.	पदाभिहित अधिकारी का नाम	बी.ओ.सी. डब्ल्यू कार्ड संख्या	ई-भुगतान आदेश दिनांक	संदिग्ध कपटपूर्ण जमा राशि
53.	आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	एम जे 2003145	19-07-2021	6,000
54.		एम जे 2003145	19-07-2021	2,00,000
55.		ए आर 2337348	09-02-2022	2,00,000
56.		एम एन 2368314	22-02-2022	2,00,000
57.		एम एन 2368314	22-02-2022	6,000
58.		डी एस 1901545	29-01-2021	2,00,000
59.		डी एस 1901545	29-01-2021	6,000
60.		एफ 2097594	25-09-2021	2,00,000
61.		ए एस 2175312	22-02-2022	2,00,000
62.		ए एस 2175312	22-02-2022	6,000
63.		एस बी 1873213	25-09-2020	2,00,000
64.		एस बी 1873213	25-09-2020	6,000
65.		वी एस 1894893	12-09-2019	2,00,000
66.		वी एस 1894893	12-09-2019	6,000
67.		डी एस 1923361	07-11-2020	2,00,000
68.		डी एस 1923361	07-11-2020	6,000
69.		पी के 2021201	01-07-2021	2,00,000
70.		पी के 2021201	01-07-2021	6,000
71.		आर ए 2027269	21-02-2021	2,00,000
72.		आर ए 2027269	21-02-2021	6,000
73.		ए डी 1936403	10-07-2021	2,00,000
74.		ए डी 1936403	10-07-2021	6,000
75.		बी डी 2114435	30-12-2021	6,000
76.		बी डी 2114435	30-12-2021	2,00,000
77.		ए जी 1864277	29-09-2021	2,00,000
78.		ए जी 1864277	29-09-2021	6,000
79.		आर 1855580	12-01-2022	4,00,000
80.		आर 1855580	12-01-2022	6,000

स. क्र.	पदाभिहित अधिकारी का नाम	बी.ओ.सी. डब्ल्यू कार्ड संख्या	ई-भुगतान आदेश दिनांक	संदिग्ध कपटपूर्ण जमा राशि
81.	आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	पी एस 1965014	21-01-2020	4,00,000
82.		पी एस 1965014	21-01-2020	6,000
83.		एस बी 1914372	18-11-2019	2,00,000
84.		एस बी 1914372	18-11-2019	6,000
85.		एस बी 2340357	28-02-2022	2,00,000
86.		एस बी 2340357	28-02-2022	6,000
87.	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	ए के 2305831	15-01-2022	6,000
88.		ए के 2305831	15-01-2022	2,00,000
89.		एस बी 1893378	05-07-2019	6,000
90.		एस बी 1893378	05-07-2019	2,00,000
91.		आर एस 1769693	19-03-2021	6,000
92.		आर एस 1769693	19-03-2021	2,00,000
93.		एस के 2047654	07-01-2022	6,000
94.		एस के 2047654	07-01-2022	2,00,000
95.		पी एस 2126543	27-05-2021	6,000
96.		पी एस 2126543	27-05-2021	2,00,000
97.		के के 2258651	02-11-2021	6,000
98.		के के 2258651	02-11-2021	2,00,000
99.		आर जे 2013490	14-08-2020	6,000
100.		आर जे 2013490	14-08-2020	2,00,000
101.		एस वी 2165920	15-01-2022	6,000
102.		एस वी 2165920	15-01-2022	2,00,000
103.		एस सी 2113923	28-09-2021	2,00,000
104.		एस सी 2113923	28-09-2021	6,000
105.		आर आर 1956145	20-08-2020	6,000
106.		आर आर 1956145	20-08-2020	2,00,000
107.		एस वाई 2042913	05-10-2021	6,000
108.		एस वाई 2042913	05-10-2021	2,00,000

स. क्र.	पदाभिहित अधिकारी का नाम	बी.ओ.सी. डब्ल्यू कार्ड संख्या	ई-भुगतान आदेश दिनांक	संदिग्ध कपटपूर्ण जमा राशि
109.	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	एस ए 2099856	08-06-2021	2,00,000
110.		एस ए 2099856	08-06-2021	6,000
111.		आर एस 2018692	02-11-2021	6,000
112.		आर एस 2018692	02-11-2021	2,00,000
113.		एम ए 1926076	28-09-2021	6,000
114.		एम ए 1926076	28-09-2021	2,00,000
115.		एच एस 2013488	28-08-2020	6,000
116.		एच एस 2013488	28-08-2020	2,00,000
117.		एम एस 2272840	07-01-2022	6,000
118.		एम एस 2272840	07-01-2022	2,00,000
119.		एस ए 1871081	15-05-2019	2,00,000
120.		एस ए 1871081	15-05-2019	6,000
121.		ए बी 2258554	18-12-2021	6,000
122.		ए बी 2258554	18-12-2021	2,00,000
123.		एन बी 2018276	29-09-2020	6,000
124.		एन बी 2018276	29-09-2020	2,00,000
125.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पहाड़गढ़, मुरैना	एम एम 1858746	27-11-2018	2,00,000
126.		बी ए 1955564	12-06-2020	2,00,000
127.		बी ई 1841270	26-08-2018	2,00,000
128.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना	के वाई 1168986	30-12-2018	2,00,000
129.		के वाई 1168986	30-12-2018	5,000
130.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वैढ़न, सिंगरौली	आर एस 1645952	20-09-2019	2,00,000
131.		आर एस 1645952	20-09-2019	6,000
132.		डी एस 1645951	18-07-2019	2,00,000
133.		एस वाई 1681821	14-09-2018	2,00,000
134.		एस वाई 1681821	14-09-2018	5,000

स. क्र.	पदाभिहित अधिकारी का नाम	बी.ओ.सी. डब्ल्यू कार्ड संख्या	ई-भुगतान आदेश दिनांक	संदिग्ध कपटपूर्ण जमा राशि
135.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वैढ़न, सिंगरौली	एस वाई 967829	05-09-2019	2,00,000
136.		एस वाई 967829	05-09-2019	6,000
137.		जे पी 1671871	18-07-2019	2,00,000
138.		जे पी 1671871	18-07-2019	5,000
139.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चितरंगी, सिंगरौली	बी के 1762349	01-10-2021	2,00,000
140.		सी के 2045704	09-10-2020	2,00,000
141.		एफ डी 2062479	17-10-2020	2,00,000
142		जी एस 1654543	22-04-2019	2,00,000
योग				**1,67,87,000**

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: कंडिका संख्या 5.2.1(ब), पृष्ठ संख्या 45)

विवाह सहायता के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	पदाभिहित अधिकारी का नाम	बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कार्ड संख्या	ई-भुगतान आदेश दिनांक	संदिग्ध कपटपूर्ण जमा राशि
1.	आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	आर बी 2111150	02-09-2021	51,000
2.		ए एस 2337333	06-10-2021	51,000
3.		ए एस 2337333	06-10-2021	51,000
4.		जे 2107313	08-09-2021	51,000
5.		के एस 2317298	14-09-2021	51,000
6.		के एस 2317298	14-09-2021	51,000
7.		वाई एस 2306035	04-09-2021	51,000
8.		वाई एस 2306035	04-09-2021	51,000
9.		जे जी 2318090	06-10-2021	51,000
10.		एल एस 2137726	14-09-2021	51,000
11.		एस बी 2298317	21-12-2021	51,000
12.		एस बी 2298317	21-12-2021	51,000
13.		एस 2339444	31-12-2022	51,000
14.		एस 2339444	31-12-2022	51,000
15.		ए आर 2248719	28-06-2021	51,000
16.		ए आर 2248719	28-06-2021	51,000
17.		ए एन 2253135	15-09-2021	51,000
18.		ए एन 2253135	15-09-2021	51,000
19.		ए पी 2186109	08-03-2021	51,000
20.		ए पी 2186109	08-03-2021	51,000
21.		एन के 2315162	06-10-2021	51,000
22.		वी एस 2337336	06-10-2021	51,000
23.		एम के 2252116	22-12-2021	51,000
24.		एम के 2252116	22-12-2021	51,000
25.		बी बी 2406541	25-01-2022	51,000
26.		बी बी 2406541	25-01-2022	51,000
27.		एस एन 2260937	28-08-2021	51,000
28.		एस एन 2260937	08-09-2021	51,000
29.	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	एम बी 2171930	15-05-2021	51,000
30.		एम बी 2171930	15-05-2021	51,000
31.		एम एन 2194444	21-12-2021	51,000
32.		एम एन 2194444	21-12-2021	51,000

स. क्र.	पदाभिहित अधिकारी का नाम	बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कार्ड संख्या	ई-भुगतान आदेश दिनांक	संदिग्ध कपटपूर्ण जमा राशि
33.	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	एम एस 2273545	17-08-2021	51,000
34.		एम एस 2273545	17-08-2021	51,000
35.		एम बी 2271256	27-08-2021	51,000
36.		आर बी 2026882	23-07-2021	51,000
37.		जे बी 1891675	18-04-2019	51,000
38.		जे बी 1891675	18-04-2019	51,000
39.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुण्डम, जबलपुर	डी एस 1898050	21-08-2019	51,000
40.		डी एस 1898050	21-08-2019	51,000
41.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कैलारस, मुरैना	एस एस 1101536	30-03-2019	51,000
42.		ए वाई 943980	04-08-2019	51,000
43.		बी डी 958176	04-08-2019	51,000
44.		के डी 1728473	17-01-2019	25,000
45.		आर के 1720162	03-06-2019	51,000
46.		आर डी 1143677	21-02-2019	25,000
47.		एस डी 1835481	26-02-2019	25,000
48.		बी आर 1706465	17-01-2019	25,000
49.		जी जे 1900454	09-09-2019	51,000
50.		एम जे 1809988	12-02-2019	25,000
51.		वी पी 971151	14-02-2019	25,000
52.		बी आर 976527	26-02-2019	25,000
53.		आर के 1493009	17-01-2019	25,000
54.		बी डी 1789686	21-02-2019	25,000
55.		ए एस 1004031	26-02-2019	25,000
56.		एम डी 1374980	02-03-2019	25,000
57.		एम डी 971142	04-08-2019	51,000
58.		बी के 1675532	15-04-2019	51,000
59.		एस एस 1730732	03-06-2019	51,000
60.		बी ए 1694143	03-06-2019	51,000
61.		बी आर 976553	26-02-2019	25,000
62.		बी के 959979	26-02-2019	25,000
63.		वी जे 1643478	03-06-2019	51,000
64.		ए एस 951945	04-08-2019	51,000
65.		एम के 1676175	15-04-2019	51,000
66.		एम डी 1068249	26-02-2019	25,000
67.		एम के 1695372	03-06-2019	51,000

स. क्र.	पदाभिहित अधिकारी का नाम	बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कार्ड संख्या	ई-भुगतान आदेश दिनांक	संदिग्ध कपटपूर्ण जमा राशि
68.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पहाड़गढ़, मुरैना	एम एन 1598494	16-03-2020	51,000
69.		एम एन 1598494	16-03-2020	51,000
70.		एन जे 1982482	07-03-2020	51,000
71.		बी आई 1958973	16-01-2020	51,000
72.		बी आई 1958973	16-01-2020	51,000
73.		आर एस 1909746	27-11-2019	51,000
74.		आर एस 1909746	25-11-2019	51,000
75.		के एस 1984657	25-03-2020	51,000
76.		के एस 1984657	17-08-2020	51,000
77.		ए टी 1899572	01-07-2019	51,000
78.		जे एच 1812784	15-04-2019	25,000
79.		वी टी 1816593	10-12-2018	25,000
80.		वी टी 1816593	07-12-2018	25,000
81.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वैढ़न, सिंगरौली	एल एस 1348843	20-02-2019	25,000
82.		ए पी 1411992	09-10-2018	25,000
83.		ए एस 1410902	17-08-2020	51,000
84.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चितरंगी, सिंगरौली	एस वी 2261739	12-08-2021	51,000
85.		आर बी 2231421	04-05-2021	51,000
86.		आर बी 2231421	04-05-2021	51,000
योग				**38,92,000**

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.2.8, पृष्ठ संख्या 53)

अपात्र हितग्राहियों को साईकिल सहायता की स्वीकृति दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	कार्यालय का नाम	कर्मकार का पंजीयन संख्या	पंजीयन दिनांक	हितग्राही को भुगतान की गई राशि (₹ में)	भुगतान का दिनांक	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. कार्ड पंजीयन एवं साईकिल सहायता भुगतान के मध्य की अवधि (दिनों में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
1.	आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	ए एल 1364007	28-02-2017	4,000	11-09-2018	560	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत श्रमिक साईकिल सहायता के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि उन्होंने आवश्यक दो वर्ष की पात्रता पूरी नहीं की थी।
2.		बी आर 1119173	26-09-2016	4,000	07-09-2018	711	
3.		के ए 1759974	02-04-2018	4,000	10-09-2018	161	
4.		यू बी 1285510	16-01-2017	4,000	14-08-2018	575	
5.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद कैलारस, मुरैना	डी जी 1375510	06-03-2017	3,600	06-06-2018	457	

स. क्र.	कार्यालय का नाम	कर्मकार का पंजीयन संख्या	पंजीयन दिनांक	हितग्राही को भुगतान की गई राशि (₹ में)	भुगतान का दिनांक	बी.ओ.सी. डब्ल्यू. कार्ड पंजीयन एवं साईकिल सहायता भुगतान के मध्य की अवधि (दिनों में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
6.	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	आई ए 1895204	21-05-2019	4,000	19-12-2020	577	
7.		ए बी 1926691	09-09-2019	4,000	25-08-2020	349	
			योग	**27,600**			

शब्दावली

शब्दावली

शब्द-संक्षेप	पूर्ण रूप
ए.एल.सी.	सहायक श्रम आयुक्त
ए.ओ.	निर्धारण अधिकारी
बी.ओ.सी.डब्ल्यू.	भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
सी.ए.	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सी.बी.एस.ई.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल
सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सी.एम.ओ.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डी.एल.ओ.	जिला श्रम अधिकारी
जी.ए.डी.	सामान्य प्रशासन विभाग
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
आई.एच.एस.	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
जे.पी.	जनपद पंचायत
एल.सी.	श्रम आयुक्त
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एन.आई.सी.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एन.एन.	नगर निगम
एन.पी.पी.	नगर पालिका परिषद

शब्द-संक्षेप	पूर्ण रूप
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.एच.ई.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्था
पी.एस.	प्रमुख सचिव
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण विभाग
आर.ओ.	पंजीयन अधिकारी
आर.आर.सी.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र
टी.डी.एस.	स्रोत पर कर कटौती
यू.ए.डी.डी.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
यू.एल.बी.	नगरीय निकाय
डब्ल्यू.आर.डी.	जल संसाधन विभाग
जेड.ओ.	जोनल अधिकारी

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi